गोपनीय

सत्यमेव जयते

केवल राजकीय प्रयोग के लिए

राजस्थान में साम्प्रदायिक घटनाओं के निराकरण के संबंध में मार्ग–दर्शिका, 2015

राजस्थान सरकार, गृह (ग्रुप–13) विभाग विभाग के
परिपत्र संख्या प. 5(8) गृह–13 / 2008
दिसम्बर 16, 2015 द्वारा जारी

गोपनीय

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-13) विभाग

क्रमांक : प. 5(8) गृह-13/2008 जयपुर, दिनांक :16-12-2015

परिपत्र

राज्य में साम्प्रदायिक घटनाओं के निराकरण के संबंध में मार्ग-दर्शिका

1. साम्प्रदायिकता के कारण एवं रोकथाम हेतु वांछित कार्यवाही :

भारत के संविधान के अनुसार भारत एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है अतः यह अपेक्षित है कि ऐसे प्रयास किये जावें कि ऐसी घटनाएं जिनसे धार्मिक सहिष्णुता एवं सद्भावना पर विपरीत प्रभाव पड़ता हो, नहीं घट सकें इसके सतत् प्रयास किये जावें एवं यदि इस प्रकार की कोई घटना होती है तो उस पर नियंत्रण कर धार्मिक सद्भाव के प्रयास किये जावे। प्रायः साम्प्रदायिकता के मूल कारण विभिन्न सम्प्रदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास की भावना, धार्मिक असहिष्णुता, अन्तर समुदाय विवाद, प्रतिशोध की भावना, झूठी अफवाहें, सोशल मीडिया में आपत्तिजनक या अफवाह के पोस्ट/संदेश, गुण्डा तत्वों द्वारा भड़काये गये उपद्रव, साम्प्रदायिकता की दृष्टि से आपत्तिजनक नारे, धार्मिक स्थलों आदि से संबंधित विवाद, धार्मिक जुलूस के मार्ग व जुलूसार्थियों द्वारा दूसरे सम्प्रदायों के लोगों की धार्मिक भावनाओं के विपरीत की गई नारेबाजी एवं कार्यवाहियों, क्षुद्र राजनैतिक स्वार्थ आदि है। प्रारम्भिक स्तर पर साम्प्रदायिक घटनाओं के त्वरित निराकरण की ओर जिला प्रशासन द्वारा समुचित ध्यान नहीं दिए जाने के कारण छोटी-सी घटना या स्थानीय समस्या गंभीर साम्प्रदायिक घटना का रूप ले सकती है। अतः जिला प्रशासन के लिए नितान्त आवश्यक है कि साम्प्रदायिक सद्भाव दूषित करने वाली छोटी-बड़ी समस्याओं, स्थाई व अस्थाई अन्तर-साम्प्रदायिक विवादों एवं धर्मान्ध व कट्टर व्यक्तियों, संगठनों एवं अन्य असामाजिक तत्वों की गतिविधियों की तरफ निरंतर सजगतापूर्वक ध्यान दिया जाकर हर स्तर पर वांछित कार्यवाही अविलम्ब की जावे। इस क्रम में संभागीय आयुक्त तथा महानिरीक्षक पुलिस रेंज भी सतत् आवश्यकतानुसार क्षेत्र में लोकसम्पर्क बनाए रखेंगे।

2. बहुआयामी पंचस्तरीय कार्य-योजना :

साम्प्रदायिक सद्भाव को दुष्प्रभावित करने वाली घटनाओं/परिस्थितियों से निपटने के लिए प्रभावी एवं यथोचित कार्यवाही अविलम्ब किए जाने की आवश्यकता है। इस बाबत निम्नानुसार कार्य-योजना के अनुसार कार्यवाही अपेक्षित है :-

2.1 सामान्य समय में पुलिस द्वारा सतर्कता एवं सजगता
2.2 साम्प्रदायिक तनाव/दंगों के पूर्व की व्यूह रचना
2.3 साम्प्रदायिक तनाव एवं हिंसक दंगों के दौरान निपटने की व्यूह रचना।
2.4 साम्प्रदायिक घटना/तनाव के बाद की कार्यवाही।
2.5 घटनाओं का तथ्यात्मक विश्लेषण व अन्य कार्यवाहियां।

उपरोक्तानुसार कार्य योजना हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश आगे उल्लेखित है :-

2.1 सामान्य समय में जिला प्रशासन द्वारा सतर्कता एवं सजगता :

साम्प्रदायिक सौहार्द सुनिश्चित करने के लिए यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि सामान्य समय में जिला प्रशासन द्वारा पूरी सतर्कता बरती जावें। इस दृष्टि से जिला प्रशासन विशेषकर पुलिस द्वारा निम्नानुसार व्यवहार अपनाया जाना अपेक्षित है :-

2.1.1 अग्रिम सजगता :

साम्प्रदायिक स्थिति उत्पन्न होने से पूर्व पुलिस एवं प्रशासन के अन्य विभागों की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है। सामान्यतः इनकी कार्य-प्रणाली सजगतापूर्ण, निष्पक्ष, संवेदनशील, कुशल, सामयिक, सर्वमान्य एवं संतोषप्रद होनी चाहिए। जिससे यथासंभव सामान्य स्थिति बनाए रखी जा सके तथा उत्तरोत्तर या आकस्मिक रूप से विस्फोटक स्थिति उत्पन्न होने से बचा जा सके परन्तु फिर भी यदि किसी कारण साम्प्रदायिक घटना/तनाव हो जावे तो उस पर शीघ्रातिशीघ्र नियंत्रण कर पुनः सामान्य स्थिति बनाने हेतु पूर्ण प्रयास प्रत्येक प्रशासनिक स्तर पर किए जाने चाहिए। उक्त परिस्थितियों मे पुलिस की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इस हेतु पुलिस को निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए :-

2.1.2 जागरूकता :

साम्प्रदायिकता को फैलाने से रोकने हेतु संबंधित थानाधिकारी से लेकर जिला स्तर पर हर माह उच्चाधिकारीगण को अपने क्षेत्राधिकार की साम्प्रदायिक स्थिति की क्राइम मीटिंग में संवेदनशील/अतिसंवेदनशील क्षेत्रों की समस्याओं के रूप में निरन्तर समीक्षा करते रहना चाहिए। उक्त समीक्षा को सार्थक बनाने हेतु संबंधित स्थान का जातिगत एवं साम्प्रदायिक विश्लेषण कर भौगोलिक स्थिति, पिछला साम्प्रदायिक इतिहास आदि तथ्यों पर तथ्यात्मक एवं औचित्यपूर्ण विचार-विमर्श किया जाकर तत्काल वांछित दिशा-निर्देश प्रदान किए जायें तथा उक्त निर्देशों की भली भांति पालना की जानी चाहिए। पूर्व में जिन क्षेत्रों में साम्प्रदायिक घटनाएं घटित हो चुकी है वहां उक्त घटनाओं के घटित होने के कारणों व दुष्प्रभावों, गंभीरता, पुलिस द्वारा बल प्रयोग, दंगों पर काबू पाने आदि के संबंध में तथ्यात्मक विश्लेषण कर उस क्षेत्र से संबंधित निष्कर्ष निकाले जाकर स्थानीय सम्प्रदायिकता से निपटने की उपयुक्त कार्य-योजना तैयार करनी चाहिए । इस हेतु पुलिस कार्मिकों को जागरूक बनाया जाना चाहिये।

2.1.3 विशेष अवसरों पर सतर्कता :

संभावित साम्प्रदायिक कारणों की समीक्षा कर उनका निराकरण किया जाना चाहिए। विशेष अवसरों पर मंदिर, देवरा, मस्जिद, मजार, तकिया, अन्य धर्मो के धार्मिक स्थल, कब्रिस्तान, श्मशान, गाय, सूअर, धर्मान्तरण, धार्मिक उत्सव तथा जुलूसों के मार्गों आदि पर समुचित निगरानी रखवाई जाकर अग्रिम आसूचनाएं एकत्रित किया जाना आवश्यक है ताकि साम्प्रदायिक सद्भाव न बिगड़ जावे।

2.1.3 (A) संवेदनशील घटनाओं एवं सूचनाओं से संबंधित रिकार्ड का संधारण :

कानून व्यवस्था की स्थिति से संबंधित स्थानों, घटनाओं आदि के संबंध में राजस्थान, पुलिस नियम, 1965 के अध्याय–2 में रिकार्ड संधारण एवं सूचनाओं के प्रेषण के प्रावधान किए गए है, जिनकी पालना प्रत्येक स्तर पर सुनिश्चित की जावें। वार्षिक मेले /त्योंहार, जुलूस, साम्प्रदायिक व जातीय झगडों सम्बंधी घटनाओं का इन्द्राज सम्बन्धित पुलिस थाने की ग्राम अपराध पंजिका (VCNB) में आवश्यक रूप से किया जावे।

2.1.4 संवेदनशील स्थानों का वर्गीकरण एवं आपात योजना तैयार रखना :

साम्प्रदायिक रूप से संवेदनशील प्रत्येक स्थान पर साम्प्रदायिक घटना के कुछ तौर–तरीके, व्यूह–रचना एवं कारण होते है। अतः इस संबंध में साम्प्रदायिक रूप से संवेदनशील एवं अत्यन्त संवेदनशील स्थानों को अलग–अलग वर्गीकरण किया जाकर वर्गीकरण के आधार, साम्प्रदायिकता के कारण, उनसे निपटने हेतु दिशा–निर्देश, साम्प्रदायिक तत्वों, गुण्डा एवं असामाजिक तत्वों, संवेदनशील एवं अतिसंवेदनशील स्थानों आदि से संबंधित विवरण पूर्व से ही संबंधित थानों, वृत्त अधिकारी कार्यालयों, उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जिला पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, के कार्यालय में संकलित कर रखें जावे। इस संबंध में ऐसे प्रत्येक स्थान के लिए पूर्व में ही अलग–अलग आपात योजनाएं बनाई जाकर तैयार रखी जावें। इस संबंध में वांछित आपात योजना का विवरण परिशिष्ट–1 में अंकित है। पूर्व में ही बनाई गई आपात योजना का वर्ष में कम से कम एक बार पूर्वाभ्यास किया जाना चाहिए तथा यदि आपात योजना में कोई कमी महसूस की जावे तो अविलंब उसकी समीक्षा कर उसे कारगर एवं ताजा बनाया जाना चाहिए। उक्त योजना आवश्यकतानुसार थाना, वृत्त स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर पर बनाना उचित होगा तथा उक्त आपात योजना की प्रत्येक स्तर पर हर दूसरे वर्ष तथ्यपरक समीक्षा किया जाना भी उचित होगा जिसके लिए थाना स्तर की योजना पर यह कार्यवाही उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं वृत्ताधिकारी, पुलिस सर्कल स्तर पर जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक और जिला स्तर पर संभागीय आयुक्त तथा महानिरीक्षक पुलिस रेंज द्वारा सम्पन्न की जावेगी। राज्य स्तर पर यह समीक्षा कार्य मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव,गृह/प्रमुख शासन सचिव, गृह /शासन सचिव, गृह एवं महानिदेशक पुलिस तथा सहवृत्त महानिरीक्षक द्वारा किया जावेगा।

2.1.5 साम्प्रदायिकता को प्रभावित करने वाली गतिविधियों पर कड़ी निगरानी :

संबंधित थाना क्षेत्र, वृत्त स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली ऐसी सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जावे, जिनसे साम्प्रदायिक सद्भाव को ठेस पहुंचती हो तथा साम्प्रदायिकता की आग भड़क सकती हो।

2.1.6 शान्ति समितियों का गठन एवं बैंठकें :

साम्प्रदायिकता के निराकरण हेतु शान्ति समितियों का योगदान बहुत ही लाभप्रद रहा है। अतः साम्प्रदायिकता की दृष्टि से संवेदनशील एवं अतिसंवेदनशील क्षेत्रों में सम्भ्रान्त

एवं असरदार दोनों सम्प्रदायों के नागरिकों, विभिन्न व्यापारिक संगठनों के मुखिया, स्कूल व कॉलेज के प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य आदि को सम्मिलित कर प्रत्येक मौहल्ला व थाना की शान्ति समितियों का गठन किया जावे। संबद्ध क्षेत्रों के प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी शान्ति समितियों एवं नागरिकों से निरंतर सम्पर्क रखें तथा साम्प्रदायिक विवादों का सर्वमान्य हल त्वरित गति से ढूंढें। इस संबंध में आवश्यक रूप से त्रैमासिक गोष्ठी जिला स्तर पर व उपखण्ड स्तर की द्विमासिक तथा थाना स्तर पर मासिक आधार पर गोष्ठी किया जाना आवश्यक है किन्तु आवश्यकतानुसार यह गोष्ठी तत्काल बुलाई जानी चाहिए।

इसी प्रकार पुलिस थाना एवं जिला स्तर पर सी.एल.जी. का गठन कर उनकी नियमित बैठक आयोजित की जावे तथा साम्प्रदायिक तनाव की घटना के दौरान सम्बन्धित सी.एल.जी. सदस्यों का सक्रिय सहयोग लिया जावे।

2.1.7 कानूनी ज्ञान की समीक्षा :

साम्प्रदायिकता की विभिन्न स्थितियों से निपटने के लिए कानून द्वारा प्रदत्त अधिकारों एवं दायित्वों का ज्ञान भी प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को होना आवश्यक है। इस संबंध में उक्त स्तरों पर होने वाली मासिक गोष्ठियों में समय–समय पर संबंधित थाना अधिकारियों द्वारा सभी संबद्ध से विचार–विमर्श करना तथा उन्हें नवीनतम कानूनी जानकारी देना आवश्यक होगा।

2.1.8 साम्प्रदायिकतापूर्ण प्रकाशनों व अन्य प्रचार माध्यमों पर सतत् निगरानी :

भड़कीले साम्प्रदायिक भाषणों, प्रकाशनों, समाचार पत्रों, साहित्य, पर्चों, फिल्मों और ऑडियो व वीडियो कैसिटों का पूरा लेखा–जोखा रखा जाकर दोषियों के विरूद्ध त्वरित गति से कानूनी कार्यवाही करवाई जानी चाहिए। इसी प्रकार सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट/संदेश पर निगरानी रखी जानी चाहिए तथा ऐसी पोस्ट/संदेश पर तत्परता से कार्यवाही की जानी चाहिए।

2.1.9 शस्त्रधारियों, विस्फोटक पदार्थों के लाइसेंस आदि की चैकिंग :

शस्त्रों तथा बारूद के लाइसेंसदारों व उपभोक्ताओं की समय–समय पर विस्तृत चैकिंग की जावे तथा उन पर कड़ी निगरानी रखी जानी चाहिए। समय–समय पर अवैध शस्त्रों के व्यापार, संकलन, निर्माण आदि से संबंधित अग्रिम सूचनाएं एक कर उसके विरूद्ध तुरंत कानूनी कार्यवाही की जावे तथा हथियारों का साम्प्रदायिक दंगों में प्रयोग नहीं किए जाने का पूर्व माहौल बनाये रखा जावे। संवेदनशील क्षेत्रो में स्थित पेट्रोल पम्प की सूची रखी जानी चाहिए एवं तनाव के दौरान इन पेट्रोल पम्पों की गतिविधियों पर भी कडी निगरानी रखी जावे।

2.1.10 पाक नागरिकों एवं अमित्र राष्ट्रों के नागरिको की गतिविधियों पर निगरानी :

पाक नागरिकों एवं अमित्र राष्ट्रों के नागरिको पर कड़ी निगरानी रखी जावे ताकि वे भूमिगत होकर साम्प्रदायिकता फैलाने में सफल न हो सकें।

2.1.11 कट्टरपंथियों एवं धार्मिक संगठनों पर निगरानी :

धर्म परिवर्तन करने वाले कट्टरपंथियों एवं धार्मिक संगठनों की कार्यवाहियों पर कड़ी नजर रखी जावे।

2.1.12 गोपनीय सूचना संग्रहण की व्यवस्था :

साम्प्रदायिक समस्या को ध्यान में रखते हुए इन्टेलीजेन्स प्रशासन के वर्तमान संगठनात्मक ढांचें के औचित्य, क्षेत्र एवं कार्य-कुशलता की पूर्ण समीक्षा थाना स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर पर प्राथमिकता के आधार पर की जानी चाहिए तथा इसको जागरूकता बनाने हेतु व साम्प्रदायिक समस्या से तुरंत निपटने हेतु दिशा-निर्देश संबंधित उच्च स्तर से निरंतर भेजे जाने चाहिए। इन्टेलीजेन्स स्टॉफ को सही प्रशिक्षण इस प्रकार से दिया जावे कि वे उचित एवं व्यवस्थित ढंग से संबंधित उच्चाधिकारीगण को समय पर अग्रिम वांछित आसूचनाएं एकत्रित कर भेज सकें। इस हेतु विभिन्न थाना क्षेत्रों के उन स्थानों, जो कि साम्प्रदायिक दृष्टि से संवेदनशील है, पर विशेष ध्यान दिया जाकर उक्त स्थानों पर अग्रिम आसूचना एकत्रीकरण हेतु स्टाफ को पदस्थापित करना आवश्यक है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में पदस्थापित विभिन्न विभाग के कर्मचारीगण व अधिकारीगण से वे निरंतर संपर्क कायम रख कर बिना किसी व्यवधान के निरंतर सही अग्रिम सूचनाएं भेज सकें। इस हेतु थाना स्तर पर डी. एस. बी. स्तर से प्रत्येक 15 दिन की अवधि में जिला पुलिस अधीक्षक व इन्टेलीजेन्स के पास साम्प्रदायिक समस्याओं से संबंधित सूचना प्रेषित की जानी चाहिए, जिसका प्रारूप परिशिष्ट-2 पर अंकित है। संबंधित पुलिस अधीक्षक उक्त रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट के विमर्श के आधार पर मय अपनी टिप्पणी के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (इन्टेलीजेन्स) एवं महानिरीक्षक पुलिस रेंज को तुरंत प्रेषित करेंगे। जिला मजिस्ट्रेट आवश्यकतानुसार संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट को निर्दिष्ट रखेंगे।

विभिन्न विभागों के राज्यकर्मी एवं सरकारी संस्थाओं के कार्मिक राज्य के आवासीय क्षेत्रों में निवासरत है। यह अपेक्षित है कि इस प्रकार के समस्त कार्मिकों को प्रोत्साहित कर उनका गोपनीय सूचना संग्रहण में प्रभावी उपयोग किया जावे।

2.1.13 औद्योगिक क्षेत्रों की विशिष्ट समस्याएं :

औद्योगिक क्षेत्रों में विभिन्न वर्गों एवं साम्प्रदायों के व्यक्ति कार्यरत रहते है तथा साथ-साथ रहते है। ऐसे क्षेत्र भी साम्प्रदायिक प्रदूषण की चपेट में आ सकते है। अतः साम्प्रदायिक सौहार्द बनाये रखने हेतु उक्त क्षेत्रों में त्रिकोणीय समितियों जिसमें राज्य सरकार, श्रम विभाग एवं श्रमिकों के प्रतिनिधि शामिल हो, बनायी जानी चाहिए। उक्त समिति की बैठकें आवश्यकतानुसार आयोजित की जाकर स्थिति की समीक्षा की जानी चाहिए। यदि कोई साम्प्रदायिक विवाद उत्पन्न हो गये हों तो, सही स्तर पर उनका त्वरित गति से निराकरण किया जाना चाहिए।

2.1.14 लाऊडस्पीकरों के प्रयोग हेतु अनुज्ञा पत्र की अनिवार्यता :

सामान्यतः लाऊडस्पीकरों का प्रयोग बिना अनुज्ञा पत्र के धार्मिक स्थलो में नहीं किया जाना चाहिए। यदि अनुज्ञा पत्र जारी भी किया जावे तो शहरी क्षेत्रों में रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रि 11 बजे से सुबह 6 बजे के समय में उक्त अनुमति प्रदान नहीं की जानी चाहिए।

2.1.15 अग्रिम चेतावनी :

साम्प्रदायिक तत्वों के विरूद्ध इस आशय की अग्रिम चेतावनी दी जानी चाहिए कि उनके द्वारा साम्प्रदायिकता फैलाने पर उन्हें कठोरता से दंडित किया जावेगा।

2.1.16 जानवरों के सार्वजनिक वध पर रोक :

पशु–वध, पशु–क्रुरता एवं पशु–तश्करी को लेकर कतिपय मामलों में साम्प्रदायिक तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है। इस बाबत विशेष सतर्कता बरती जावे एवं जानवरों के सार्वजनिक स्तरों पर वध करने की घटनाअें की कठोरतापूर्वक रोकथाम की जावे। गौ तस्करों की सूची बनाई जावे, विशेषकर उन जिलो में जिनकी सीमा अन्य प्रदेशों से लगी हुई है तथा उनके विरूद्ध समय–समय पर प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही की जावे।

2.1.17 धार्मिक स्थलों के निर्माण कार्य का नियमन :

धार्मिक स्थलों के निर्माण को लेकर साम्प्रदायिक सद्भाव दुष्प्रभावित नहीं हो, इसके लिए यह अपेक्षित है कि धार्मिक संस्थाएं (दुरूपयोग की रोकथाम) अधिनियम, 1958 के प्रावधानों की प्रभावी अनुपालना पर ध्यान रखा जावे एवं अवैध निर्माणों के विरूद्ध इस अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की जावे। किसी भी सूरत में धार्मिक स्थलों पर आग्नेयास्त्रों एवं विस्फोटक सामग्री एवं अपराधियों का एकत्रीकरण नहीं होने दिया जावें। छोटे–बडे सभी मंदिरों, मदरसों, मस्जिदों, तकिया व अन्य धार्मिक पूजा के स्थलों की फोटोग्राफी कराई जाकर रिकार्ड रखा जावे ताकि ऐसे धार्मिक स्थलों की तोडफोड़, नव निर्माण के आरोपों का सत्यापन हो सके।

2.1.18 प्रेस का उत्तरदायित्व :

साम्प्रदायिक सद्भाव बनाए रखने में संचार माध्यमों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रहती है। अतः यह अपेक्षित है कि जिला प्रशासन द्वारा संचार माध्यमों से सौहार्दपूर्ण संबंध रखते हुए उनका पूरा सहयोग प्राप्त किया जाए।

2.1.19 अधिकारियों द्वारा जनसम्पर्क :

विभिन्न स्तर के पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों को उन गांवों, कस्बों क्षेत्रों का समय–समय पर दौरा करना चाहिए जो साम्प्रदायिक दृष्टि से संवेदनशील हैं अथवा पूर्व में जहां साम्प्रदायिक तनाव/घटना हो चुकी है उक्त क्षेत्रों में सभी स्तर के लोगों से जनसम्पर्क कर वहां की साम्प्रदायिक समस्याओं का अविलम्ब निराकरण करना चाहिये

तथा अपने ठोस संपर्क सूत्र बनाकर वांछित सूचनाएं भी निरन्तर प्राप्त करने के प्रयास किए जाने चाहिए तथा जनता में आपसी साम्प्रदायिक सौहार्द की पुनर्स्थापना के प्रयास किये जाने चाहिये।

2.1.20 स्वयंसेवी संस्थाओं से सम्पर्क :

पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों को स्वयंसेवी संस्थाओं से भी अच्छा तालमेल रखना चाहिये ताकि साम्प्रदायिक दंगों एवं तनाव के दौरान आवश्यकतानुसार उनसे सहज ही सहयोग प्राप्त किया जा सके।

2.2 साम्प्रदायिक तनाव, दंगा एवं हिंसा से पूर्व की व्यूह–रचना :

इस संदर्भ में किसी भी छोटी से छोटी साम्प्रदायिक समस्या अथवा घटना के उत्पन्न होने पर यदि साम्प्रदायिक तनाव या दंगा घटित होने की आशंका महसूस की जावे तो समस्या का दृढ़ता से अविलम्ब निराकरण किया जाना चाहिए तथा इस संबंध में सम्पूर्ण प्रशासन को एकजुट होकर तुरन्त सामान्य स्थिति लाने का प्रयास करना चाहिये। इस संबंध में पुलिस को अत्यन्त जागरूक, सतर्क एवं दृढ़ होकर निम्नलिखित कार्यवाही करनी चाहिए :–

2.2.1 अनिर्णित पुराने विवादों का समाधान एवं समीक्षण :

ऐसे पुराने विवाद या अनिर्णित मामले जिनके कारण साम्प्रदायिक सौहार्द दुष्प्रभावित हो सकता है, के जल्द से जल्द समाधान कराने हेतु सतत् प्रयत्न किए जावें। इसके संबंध में अग्रिम सूचनाएं भी निरंतर एकत्रित की जाकर उनकी समय–समय पर समीक्षा की जावे। ऐसी समीक्षा त्रैमासिक आधार पर संयुक्त रूप से संभागीय आयुक्त तथा महानिरीक्षक रेंज के स्तर पर भी आयोजित किया जावे।

2.2.2 आंतरिक सुरक्षा योजना में 2.2.1 पर विचारणीय पुराने विवादों/अनिर्णित मामलों को भी समाविष्ट किया जावे। आंतरिक सुरक्षा लागू करने की आवश्यकता होते ही उसे तुरन्त लागू करने की कार्यवाही की जावे।

2.2.3 पुराने विवादों एवं अनिर्णित मामलों की प्रगति की समीक्षा महत्वपूर्ण उत्सवों, जुलूसों, सभा, सम्मेलनों से पूर्व भी आवश्यक रूप से की जावे तथा अग्रिम सूचनाएं एकत्रित कर उन पर विशेष ध्यान दिया जावे। इस हेतु आपात योजना में आवश्यक प्रावधान पूर्व में ही किये जावें तथा कट्टरपंथियों एवं समाज–कंटकों की पूर्व गिरफ्तारी आवश्यकतानुसार की जावे।

2.2.4 साम्प्रदायिक सूचनाओं की तत्काल पुष्टि :

साम्प्रदायिकता के संबंध में प्राप्त छोटी से छोटी सूचना को भी पूरी गंभीरता से लिया जाकर उसकी सतर्कतापूर्वक तुरन्त पुष्टि की जावे। पुष्टि होने पर इसकी सूचना अतिरिक्त महानिदेशक (इन्टेलीजेन्स) तथा राज्य सरकार को अविलम्ब भेजी जावे।

2.2.5 उपरोक्त प्रकार की घटना की सूचना शीघ्रतम माध्यम से वरिष्ठ अधिकारियों को दी जावे तथा उपलब्ध साधनों के आधार पर रोकथाम की कार्यवाही की जावे तथा ऐसी घटना से निपटने के लिए सतत् तत्पर रहना चाहिए। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 153–ए, 153–बी, 295, 295–ए का इस प्रकार के मामलों में प्रकरण दर्ज किया जा सकता है।

2.2.6 साम्प्रदायिक अफवाहों पर नियंत्रण एवं खण्डन :

किसी भी कीमत पर साम्प्रदायिकता की दृष्टि से संवेदनशील स्थानों पर अफवाहें नहीं फैलने दी जावें तथा अफवाहों के खण्डन के लिए प्रभावी संचार माध्यमों को प्रयोग कर जनता को अविलम्ब सही एवं वास्तविक स्थिति की जानकरी दिए जाने के पूर्ण प्रबंध करना आवश्यक है। जनता को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने तथा अफवाहों के खण्डन के लिए जिले के शीर्ष अधिकारी जिला कलेक्टर /पुलिस आयुक्त व पुलिस अधीक्षक को प्रिन्ट व इलेक्ट्रोनिक मीडिया (विशेषकर स्थानीय टीवी चैनल) का उपयोग किया जाना चाहिए। फेसबुक/एसएमएस/व्हाटसअप/ग्रुप–एसएमएस इत्यादि का इंटरनेट/मोबाईल सेवाओं के माध्यम से अफवाहें फैलाये जाकर दुरूपयोग रोकने के लिए विशेष परिस्थितियों में निश्चित समायावधि के लिए निश्चित क्षेत्र में इंटरनेट/एसएमएस सेवा/मोबाईल सेवा पर प्रतिबंध लगाने/नियंत्रित करने के लिए कार्यवाही की जा सकती है। (परिशिष्ट–9)

उक्त कार्यवाही धारा 144(1) जा0फौ0 के तहत की जा सकती है जिसमें अधिकतम अवधि दो माह की हो सकेगी। दो माह से अधिक के लिए राज्य सरकार से पुष्टि किये जाने पर अवधि अतिरिक्त छः माह तक बढ़ाई जा सकेगी।

2.2.7 अल्पसंख्यकों को समुचित संरक्षण :

अल्पसंख्यकों को प्रशासन द्वारा संरक्षण दिया जावे तथा जो स्थल साम्प्रदायिकता की दृष्टि से ज्यादा संवेदनशील है, वहां कोई अप्रिय घटना नहीं घटे, इसको सुनिश्चित किया जावे।

2.2.8 अग्रिम सूचना एकत्रीकरण :

ठोस सामयिक एवं त्वरित अग्रिम सूचना संग्रह के लिए होशियार, परिपक्व एवं कुशल कर्मियों की नियुक्ति की जावे तथा विभिन्न स्तरों पर अपने निजी स्रोतों से भी सूचना का संग्रह किया जावे तथा प्राप्त सूचनाओं की वास्तविकता एवं बारीकी की पुष्टि भी महत्वपूर्ण मामलों में किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में इन्टेलीजेन्स व जिला विशेष शाखा को सक्रिय किया जाना चाहिए। जिला मजिस्ट्रेट संबद्ध जिलों में पटवारी, गिरदावर तथा ग्राम सेवकों को भी ऐसी सूचना नियमित रूप से जिला पुलिस एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट स्तर पर एक निश्चित प्रपत्र में भिजवाने की व्यवस्था करें। सामप्रदायिक दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रो के थानाधिकारी उनके क्षेत्र में पदस्थापित पटवारी, गिरदावर, ग्रामसेवकों की सूची मय उनके मोबाईल नंबर व अन्य सम्पर्क नम्बर सहित रिकार्ड में रखे। इसी प्रकार सभी सरपंच एवं उपसरपंच के मोबाईल नम्बर भी रिकार्ड में रखे ताकि उनके सूचनाएं ली जा सके तथा उनका सहयोग लिया जा सके।

2.2.9 संदिग्ध असामाजिक एवं साम्प्रदायिक तत्वों पर निगरानी :

शरारती तत्वों, साम्प्रदायिक कट्टरपंथियों, असामाजिक एवं गुण्डा तत्वों की गतिविधियों एवं सम्पर्क सूत्रों पर समुचित निगरानी रखा जाना आवश्यक है। इस क्रम में नियमित रूप से ऐसे तत्वों की सूची बनाई जाकर पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट संयुक्त रूप से त्रैमासिक समीक्षण करें।

2.2.10 आगन्तुकों पर नजर :

अधीनस्थ क्षेत्रों मे बाहर से आने वाले ऐसे देशी एवं विदेशी व्यक्तियों पर कड़ी निगरानी रखी जावे जो साम्प्रदायिक विचारों, भाषणों एवं साहित्य के माध्यम से साम्प्रदायिकता फैला सकते है। इस प्रकार के तत्वों में से उन तत्वों पर विशेष निगरानी रखी जानी आवश्यक है जो धार्मिक स्थलों में ठहरकर धार्मिक प्रवचनों की आड में कट्टरपंथियों को तोड़–फोड की कार्यवाही करने के लिए साधन उपलब्ध कराते हैं तथा इस प्रकार का प्रशिक्षण देते हैं। ऐसे प्रतिष्ठानों के यात्री रजिस्टर व ठहरने वालों की समय–समय पर आकस्मिक चैकिंग की जानी चाहिए।

2.2.11 प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही :

आवश्यकता पड़ने पर प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही प्रभावी ढंग से की जावे। इस संबंध में भारतीय दंड संहिता, दण्ड प्रक्रिया संहिता, एन.एस.ए., टाडा (पी) एक्ट, गुण्डा एक्ट आदि कानूनों का सहारा लेकर साम्प्रदायिकता को भड़काने से पहले निरोधात्मक कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए ताकि स्थिति नियंत्रण से बाहर न हो सके तथा उक्त आशय का दृढ़ निश्चय संबंधित पक्षों तक पहुंचाया जावे। किन्तु ऐसे प्रकरण बनाते समय विशेषकर आतंकवादियों एवं विध्वंसक कार्यवाही निरोधक-अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही का निर्णय सोच समझकर वरिष्ठ स्तर पर ही लिया जावे। ऐसी कार्यवाही मात्र प्रकरण बनाने से ही पर्याप्त नहीं होती बल्कि प्रभावी अभियोजन भी किया जावे। इसको सुनिश्चित करने के लिए प्रकरणों में अभियोजन के विलम्ब, असफलता, व दुविधाओं के निवारण हेतु जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक, लोक अभियोजकों की मासिक तथा संभागीय आयुक्त एवं रेंज उप महानिरीक्षक त्रैमासिक गोष्ठी करे जिसका सार एक प्रतिवेदन में गृह विभाग को सूचित करे एवं उपयोगिता की दृष्टि से सुझावों/निर्णयों का प्रतिपालन करावें।

2.2.12 मुलाजमानों को उचित ब्रीफिंग :

पुलिसकर्मियों को नियुक्ति स्थल पर भेजने से पूर्व उन्हें स्थिति की सही जानकारी दी जावे तथा उनकी ड्यूटी व अधिकारों के बारे में बारीकी से समझाईश की जावे। मौके पर उचित कार्यवाही अमल में लाई जाकर उच्चाधिकारियों के निर्देश के इंतजार में स्थिति बिगड़ने नहीं दी जावे।

2.2.13 समुचित सुरक्षा प्रबन्ध :

सभा, सम्मेलन, प्रदर्शन, जुलूस एवं झांकी आदि के आयोजन के अवसर पर उसके शांतिपूर्वक संचालन एवं नियंत्रण हेतु समुचित सुरक्षा प्रबन्ध करने की कार्यवाही की

जानी चाहिए। इस संबंध में बिना पूर्व अनुज्ञा पत्र के इनको निकालने नहीं दिया जाना चाहिए। जहां तक हो सके इनके मार्ग पुराने होने चाहिए तथा नयी अनुज्ञा नहीं दी जावें ताकि इनकी वृद्धि को रोका जा सके।

2.2.14 अवैध शस्त्रों, आग्नेयास्त्रों, विस्फोटक सामग्री के संबंध में समुचित कार्यवाही :

समय–समय पर अवैध धारदार हथियारों, बम, आग्नेयास्त्रों तथा विस्फोटक सामग्री की तलाश हेतु ठोस उपाय किये जाने चाहिए। ऐसी सामग्री के उपलब्ध होने की सूचना प्राप्त होने पर उनके निर्माण, भण्डार एवं धारकों पर दबिश दी जाकर उक्त प्रकार की सामग्री जब्त की जानी चाहिए। साम्प्रदायिक दंगों से पूर्व उक्त प्रकार की सामग्री की मांग व पूर्ति बढ़ जाती है। जिसके उपयोग से दंगें और भी भयावह, विस्तृत एवं अनियंत्रित हो जाते है। ऐसी परिस्थितियों में उपरोक्त प्रकार की सामग्री का उपद्रवी तत्वों के गढ़ से तथा प्रेरकों द्वारा आदान–प्रदान भी शीघ्रगामी होता है। अतः प्रशासन व पुलिस को इन तथ्यों को ध्यान में रखना होगा।

2.2.15 प्रशासनिक सम्पर्कः

सदैव सुदृढ़ कानून एवं व्यवस्था के लिए पुलिस एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट में निरन्तर सम्पर्क रहना अपरिहार्य है। इस सम्बन्ध में जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक जिला के वरिष्ठ पुलिस, प्रशासनिक तथा अन्य विभागीय अधिकारियों के मध्य समन्वय हेतु आवश्कतानुसार गोष्ठी कर स्थिति का समीक्षण करे तथा सभी पहलूओं पर विमर्श कर गोष्ठी में लिए गए निर्णयों की सूचना संभागीय आयुक्त, महानिरीक्षक पुलिस रेंज तथा महानिरीक्षक (इन्टेलीजेन्स) को अविलम्ब भेजे।

2.2.16 पूर्व तैयारीः

साम्प्रदायिक तनाव की सूचना मिलते ही सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट परस्पर समन्वय से सम्बन्धित जिला चिकित्सा अधिकारी को उपयुक्त संख्या में मेडिकल टीमें व एम्बुलेंस तैयार रखने, फायर बिग्रेड के अधिकारियों को फायर बिग्रेड तैयार रखने एवं खाली टैकरों को पुनः भरने की व्यवस्था रखने, पुलिस लाईन मे फोर्स व वाहनों को तैयार रखने, पुलिस उप महानिरीक्षक रेंज एवं पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन) से वांछित सहायता प्राप्त करने हेतु सम्पर्क, नागरिक प्रशासन के सहयोग के सन्दर्भ में सेना की आवश्यकता समझी जावे तो उन्हे सतर्क एवं तैयार रखने हेतु सूचित करने, वायरलैस अधिकारियों से सहयोग प्राप्त करने, नागरिक सुरक्षा अधिकारियों को सतर्क रहने, आवश्यक सेवा व्यवस्था की पुनः व्यवस्था करने व उन्हे बनाये रखने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों से सम्पर्क करने, आवश्यक वस्तुओं को पर्याप्त मात्रा एवं उचित मूल्य पर आम जनता को सुलभ कराने की व्यवस्था करने हेतु जिला रसद अधिकारी से सम्पर्क करने, अधीक्षण/कार्यपालक विद्युत इंजीनियर से विद्युत सप्लाई के बारे में, जलदाय विभाग के अधीक्षण/कार्यपालक इंजीनियर से पर्याप्त जलापूर्ति प्रभावित क्षेत्रों में सार्वजनिक हाईड्रेन्ट को चालू करने की व्यवस्था करने हेतु, दूरसंचार के वरिष्ठ अधिकारियों से संचार व्यवस्था हेतु, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण/कार्यपालक इंजीनियर से मार्गो पर अवरोध हटाने की व्यवस्था, कारागार विभागों को संभावित

गिरफ्तारियों व तत्पश्चात जेल में उपयुक्त व्यवस्था आदि हेतु, डीजल व पेट्रोल की सप्लाई नियंत्रित रखने के लिए जिला रसद अधिकारी से सम्पर्क करने आदि की कार्यवाही अविलम्ब की जानी चाहिए। इसी प्रकार स्थानीय निकाय, निगमों आकाशवाणी, दूरदर्शन व लोक संचार प्रबन्धन से आवश्यकतानुसार सम्पर्क कर लिया जावे, क्योंकि इनकी तैयारी में कुछ समय लग सकता है। अतः इससे सम्बन्धित कार्यवाही अविलम्ब किया जाना उचित है ताकि उचित समय पर इनकी सेवाओं का जन अनुरक्षण एवं कल्याण हेतु उपयोग किया जा सके।

2.3 साम्प्रदायिक तनाव, दंगों एवं हिंसक दंगों के दौरान स्थितियों से निपटने की व्यूह–रचना

2.3.1 उग्र तनाव/दंगों/हिंसक घटनाओं के समय, प्रबन्ध व कार्य विभाजनः

ऐसे समय में जिला प्रशासन/पुलिस के अधिकारियों को स्पष्ट रूप से घटना के प्रारम्भ व सूत्रपात पर तत्काल कार्य विभाजन किया जाना चाहिए। जिसमें एक अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, विभिन्न व्यवस्थाओं जैसे प्रचार, प्रसार, रसद, सामान्य सेवा का प्रभारी, एक कानून व्यवस्था तथा अन्य रात्रिकालीन पारी का, इसी भांति पुलिस अधिकारियों में एक पुलिस बल के संचार नियंत्रण, अन्य दो दंगों/स्थिति के नियंत्रण तथा एक अधिकारी कण्ट्रोल रूम (नियंत्रण कक्ष में), समन्वय उपचार संचार तथा साधन एवं सामग्री के उपलब्ध कराने तथा एक अन्य अधिकारी कानूनी दृष्टि से कार्यवाही का प्रभारी बनाना चाहिए ताकि कोई भी पहलू उपलब्ध साधनों की दृष्टि से अछूता न रह जावे और जिले का वरिष्ठ अधिकारी एकांकी भी न रह जावे। दंगो के दौरान दर्ज होने वाले अभियोगों के अनुसंधान हेतु एक पुलिस अधिकारी के नेतृत्व में अनुसंधान टीम गठित की जावे। रेंज मुख्यालयों तथा जयपुर में ऐसी स्थिति मे समन्वय का कार्य तत्काल सम्भागीय आयुक्त/रेंज महानिरीक्षक पुलिस को करना चाहिए ताकि कानून व्यवस्था की स्थिति में बल प्रयोग व घटना पर कार्यवाही के समय पुलिस अधीक्षक स्वयं उपस्थित रह सके।

2.3.2 कठोर निरोधात्मक कार्यवाहीः

उपरोक्त समस्त प्रयासों एवं निरोधात्मक कार्यवाहियों के उपरान्त भी यदि साम्प्रदायिक तनाव अथवा दंगा भडक जाता है तो निष्पक्ष एवं तटस्थ भावना से बिना जाति, धर्म एवं वर्ग का विचार किये उसे पूरी कठोरता से विधि विधान के अनुसार दबा देना चाहिए। सीमावर्ती इलाकों में माकूल खोजबीन कर दंगा फैलने से रोकने का प्रयास करना चाहिए। साम्प्रदायिक एवं गुण्डा तत्वों के विरूद्ध भी कठोरतम कानूनी कार्यवाही त्वरित गति से की जानी चाहिए ताकि (पुनरावृत्ति) रोकी जा सके।

2.3.3 वांछित साधनों का आकलन व कार्यवाही

उपरोक्त अवस्था में समूचित फोर्स की उपलब्धता, अश्रुगैस गोलों, लाठियों, ढालों तथा आग्नेय शस्त्रों की उपलब्धता, उपयोगिता एवं प्रभाव का पूर्ण आकलन पुलिस वाहनों पर लाउडस्पीकर की व्यवस्था आदि तुरन्त कर लेनी चाहिए तथा स्थिति के अनुसार मौके

पर विधि अनुसार उपयुक्त बल प्रयोग मे किसी प्रकार की हिचक नही होनी चाहिए। इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही की सूचना तुरन्त ही स्टेट कण्ट्रोल रूम एवं उच्च पुलिस अधिकारीगण व राज्य सरकार को दी जानी चाहिए।

2.3.4 उचित व्यवस्था:

दंगों के दौरान पुलिस बल को समुचित रिहाईश, खाने पीने एवं आराम के साथ साथ बदली की भी व्यवस्था की जावे क्योंकि ऐसे अवसरों पर उनकी तैनाती काफी समय के लिए की जा सकती है। पुलिसकर्मियों के मनोबल को बढाने व निष्पक्षता हेतु उक्त प्रबन्ध और भी आवश्यक हो जाते है।

2.3.5 पूर्व चेतावनी की अनिवार्यता:

भीड़ को तितर–बितर करने के लिए बल प्रयोग से पूर्व नियमानुसार लाउडस्पीकर से भीड को चेतावनी दी जावे तथा इनका प्रयोग अफवाहों के खण्डन के लिए भी किया जावे।

2.3.6 बल प्रयोग के नियम:

विधि विरूद्ध जमा हुए लोगों को तितर–बितर करने, उग्र/हिंसक भीड को नियंत्रण करने में जहां भी बल प्रयोग करने की आवश्यकता होती है वहां यह नितांत आवश्यक है कि बल प्रयोग पुलिस मुख्यालय द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों एवं प्रशिक्षण के दौरान बतायी गई सावधानियों का उपयोग करते हुए युक्तिसंगत ढंग से किया जावे जिससे अनावश्यक या अवैधानिक बल प्रयोग का मुद्दा पैदा नही हो। अनियंत्रित/हिंसक भीड़ को बिखेरने के लिए बल प्रयोग की स्थिति होने पर भी मौके पर उपस्थित अधिकारियों एवं पुलिस जाप्ते को संयम एवं आत्म–नियंत्रण से काम लेना चाहिए। यह भी अपेक्षित है कि यदि बल प्रयोग मे लोगों को चोट पहुंच जाती है या कोई व्यक्ति हताहत हो जाता है तो उनका ईलाज/अंतिम संस्कार के सम्बन्ध में तत्काल व्यवस्था कराई जावे। इसके लिए यह आवश्यक है कि इस प्रकार की घटनाएं जिनमें विधि विरूद्ध भीड़ इकट्ठा होने/भीड़ के अनियंत्रित होने की स्थिति की संभावना बनती है या उसकी जानकारी मिलती है तो उन परिस्थितियों में एम्बूलेन्स आदि की व्यवस्था रखनी चाहिए एवं चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को भी सावचेत कर देना चाहिए।

2.3.7 साम्प्रदायिक संघर्ष में घायलों के उपचार/मृतकों के अंतिम संस्कार की व्यवस्था

कुछ ऐसी परिस्थितियां हो सकती है जिनमें साम्प्रदायिक संघर्ष के दौरान दोनों या उनमें से एक सम्प्रदाय के लोग घायल हो जाय या मृत हो जाये। ऐसे प्रकरणों में भी जिला प्रशासन के लिए अत्यंत आवश्यक है कि घटना स्थल पर पहुंचते की घायलों की चिकित्सा एवं मृतकों के अंतिम संस्कार कराय जाने की दिशा में तत्काल प्रयास किये जाये जिससे कि घायलों/मृतकों को लेकर तनाव आगे नही बढ़ सके।

2.3.8 घटनाक्रम का अंकन :

दंगों के निराकरण में जहां तक संभव हो विडियों, फोटोग्राफर एवं कम तथा समयानुसार घटनाओं का विवरण तुरन्त लिखा जावे। घटना से सम्बन्धित पूर्ण विवरण तुरन्त सही सही थानों को रोजनामचा आम में अंकित किया जावे तथा अपराध्र पंजीकरण एवं मुलजिमानों की गिरफ्तारी व तफ्तीश प्रारम्भ करने का कार्य अविलम्ब किया जावे।

2.3.9 अग्रिम आसूचना संग्रह :

साम्प्रदायिक दंगों एवं हिंसा के फैलाव पर तथा जारी रहने की अवस्था मे निरन्तर सामयिक, ठोस, सही एवं अग्रिम सूचनाओं का प्रवाह एवं आंकलन बना रहना चाहिए ताकि दंगाईयों एवं हिसंक तत्वों से प्रभावी रूप से निपटा जा सके। इस सम्बन्ध में इन्टेलीजेन्स विभाग एवं जिला विशेष शाखा के स्टाफ की विशेष भूमिका होगी जिनसे पूर्ण सतर्कता व जागरूकता से कार्य करने की अपेक्षा की जाती है। साम्प्रदायिक दंगों एवं हिंसा के फैलाव को अन्य स्थानों पर रोकने हेतु साम्प्रदायिक दृष्टि से संवेदनशील स्थानों पर तुरन्त पुलिस व्यवस्था, सूचना एकत्रीकरण एवं अफवाहों के खण्डन की भी कार्यवाही कराया जाना आवश्यक है।

2.3.10 प्रभावी अन्वेषण कार्यवाही:

अपराधियों की गिरफ्तारी, संदिग्ध पर दबिश, संदिग्ध स्थानों की तलाशी एवं माल की जप्ती जैसी कार्यवाहियों के अलावा तत्पर एवं प्रभावी अन्वेषण और कानूनी कार्यवाही भी की जानी चाहिए ताकि कानून व्यवस्था की पुनः स्थापना को बल मिल सके। अपराधों के अन्वेषण एवं स्थिति नियंत्रण हेतु किये जा रहे उपायों बाबत राजनैतिक हस्तक्षेप के आधार पर निर्णय न लेकर स्वविवेक से ही औचित्यपूर्ण कार्यवाही की जानी चाहिए। अपराधों के त्वरित गति से अन्वेषण हेतु अलग से एक अनुसंधान दल का समय पर गठन करना चाहिए। साम्प्रदायिकता फैलाने वालों के विरूद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही की जावे। इस क्रम में उच्च स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा निर्णय लिया जाना चाहिए ताकि किसी भी स्थिति में निर्दोष के फंसने की कोई परिस्थिति पैदा न हो सके।

2.3.11 जनसम्पर्क एवं शांति समितियों की भूमिका:

शांति व्यवस्था की पुनः स्थापना हेतु उपरोक्तानुसार कार्यवाहियों के साथ जनसम्पर्क, शांति समितियों की मीटिंग कर उनका सहयोग प्राप्त करने एवं विभिन्न सम्प्रदायों के सम्मानजनक नागरिकों से सहायता प्राप्त करने की कार्यवाही एवं उसकी समय-समय पर समीक्षा भी की जानी चाहिए जिससे साम्प्रदायिक सौहार्द की स्थिति कायम की जाने के साथ साम्प्रदायिक समस्या का त्वरित गति से सर्वमान्य निराकरण किया जा सके तथा अफवाहों का खण्डन किया जा सके। यह कार्य पुलिस अधीक्षक एवं जिला मैजिस्ट्रेटों के सहयोग से सम्पन्न किया जाना चाहिए। शांति समितियों में सम्बद्ध वर्गों के स्थानीय मौजिज लोगों को रखना चाहिए। पुलिस प्रशासन, शांति समितियों, समाजसेवी समितियों, समाज कल्याण समितियों, समाचार पत्र, लोक समाचार एवं जन

समाजसेवी समितियों, समाज कल्याण समितियों, समाचार पत्र, लोक समाचार एवं जन सम्पर्क तथा अन्य सम्बन्धित गैर–प्रशासनिक एवं निजी संस्थाओं/ईकाईयों के बीच सूझ–बूझ एवं पूर्ण समन्वय एवं संतुलन बनाएं रखने के प्रयत्न बने रहने चाहिए।

2.3.12. प्रभावी गश्त, नाकाबंदी तथा प्रचार आदि की व्यवस्था:

गश्त, पैट्रोलिंग एवं नाकाबंदी की व्यवस्था पुख्ता एवं मजबूत होनी चाहिए, जिससे साम्प्रदायिक एवं शरारती तत्वों को हिंसा, आगजनी एवं तोड़फोड़ का मौका नही मिल सके। इस क्रम में वस्तुस्थिति के परिचय तथा राजकीय निर्देशों आदि की समुचित जानकारी हेतु प्रभावी एवं पर्याप्त रूप से प्रचार माध्यमों का प्रयोग किया जावे। मौके पर आगजनी एवं लूटपाट की कार्यवाही पर तुरन्त काबू पाने हेतु त्वरित गति से समुचित कार्यवाही की जानी चाहिए तथा जल्द से जल्द बाद कानूनी कार्यवाही दंगे के अलामतों को नगर परिषद की सहायता से मौके पर से हटवा देना चाहिए ताकि समाचार पत्र, वीडियो कैसेट व आम जनता के द्वारा मौके के दृश्यों के प्रचारी से साम्प्रदायिक सौहार्द को अधिक ठेस न पहुंच सके।

2.3.13. रोकथाम की कार्यवाही (धारा 144 जा.फौ. आदि)

धारा 144 जा.फौ. एवं कर्फ्यू लगाने का सामयिक एवं ठोस निर्णय लिया जाकर उन आदेशों का दृढता से पालन कराया जावे। उक्त पाबंदियां लागू करते समय स्कूल, कॉलेज व अन्य शिक्षण संस्थाओं को बंद कराने या खुला रखने की परिस्थितियों पर सजगतापूर्वक निर्णय लेकर तद्नुसार स्पष्ट आदेश भी प्रसारित व प्रचारित किये जावे। कर्फ्यू लगाने के आदेश के तत्काल पश्चात इस बात का विशेष ध्यान रखा जावे कि प्रभावित क्षेत्र में ही कर्फ्यू की पालना में सारा फोर्स नही खप जावे और आसपास के इलाकों में असामाजिक तत्व गडबडियां करने से नियंत्रित रहें। कर्फ्यू के दौरान उसका कठोरता से पालन कराया जावे। कर्फ्यू लगाये जाने के पश्चात उसमें ढील दिये जाने के सम्बन्ध में बारीकी से सोच विचार कर ही निर्णय लिया जाना चाहिए तथा आवश्यक वस्तुओं जैसे दूध, अनाज, मिट्टी का तेल, सब्जियां, फल, पशुचारा आदि के उचित मूल्यों पर वितरण की व्यवस्था की जावे। विभिन्न कार्यालयों को चालू रखने हेतु आवश्यक न्यूनतम कर्मचारियों व अधिकारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, रेल्वे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टेण्ड तथा अस्पताल आने जाने वालों और दाह संस्कार आदि हेतु कर्फ्यू पास की समुचित व्यवस्था निर्धारित स्थान पर की जानी चाहिए। इसका सार्वजनिक रूप से प्रचार भी किया जाना चाहिए ताकि लोगों को अनावश्यक असुविधा न हो तथा आवश्यक राज्यकार्य ठप्प न हो।

2.3.14. अन्य सुरक्षा बलों से सहयोग बाबत कार्यवाही:

लोक शांति बनाये रखने के लिए जहां भी अर्द्धसैनिक बलों या सैनिक बलों की आवश्यकता हो तो, उस बाबत आवश्यकता का आकलन कर अग्रिम तैयारी आवश्यक है। अर्द्ध सैनिक बलों का प्रयोग एवं उपयोगिता तथा सैनिक बलों की उपयोगिता को ध्यान में रखकर कार्यवाही अपेक्षित है। परन्तु यह भी आवश्यक है कि इस प्रकार की आवश्यकताओं का कुछ अनुमान होते ही महानिदेशक पुलिस एवं प्रभारी शासन सचिव, गृह विभाग को स्थिति से अवगत करवा दिया जावे। सैनिक बलों की तैनाती के लिए

अलग से विस्तृत दिशा निर्देश पत्र कमांक एफ9(57)गृह–5 /2007 दिनांक 04.08.2007 द्वारा जारी किये गए है (परिशिष्ट–3)। इसको ध्यान मे रखते हुए कार्यवाही की जावे। सैन्य अधिकारियों ने चर्चा के दौरान यह अवगत करवाया कि सेना के कॉलम के साथ जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट लगाये जाते हैं उनको अपने दायित्व के बारे में काफी भ्रान्ति रहती है। यह आवश्यक है कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट सेना के लिए कॉलम के साथ नियुक्त किया जाता है उसका प्रभारी मजिस्ट्रेट के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करे। कार्यपालक मजिस्ट्रेट को इस बात से पूरी तरह अवगत करा दिया जावे कि वह उन सभी क्षेत्रों के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट के दायित्वों का निर्वहन करेगा जहां सेना के कॉलम को जाने की आवश्यकता पडती है।

2.3.15. फ्लैग मार्च :

दंगा नियंत्रण हेतु सैनिक एवं अर्द्धसैनिक बलों के प्रदर्शन हेतु एवं आम जनता में विश्वास की भावना पैदा करने हेतु दंगाग्रस्त क्षेत्रों में अन्य संवेदनशील स्थानों में फ्लैग मार्च का भी आयोजन करना श्रेयस्कर है।

2.3.16. संदिग्ध स्थानों की तलाशियां:

दंगों में प्रायः अनाधिकृत धारदार हथियारों, आग्नेयास्त्रों एवं विस्फोटक सामग्री का तोडफोड हेतु प्रयोग किया जाता है। अतः दंगों की रोकथाम हेतु संदिग्ध स्थानों व घरों की बारीकी से तुरन्त नियमानुसार तलाशियां ली जाकर उक्त प्रकार की सामग्री को जप्त करना चाहिए ताकि दंगों में इनका प्रयोग नही हो सके। वैध लाईसेंसधारियों के भी हथियार लाईसेंस व कारतूस वगैरहा सम्बन्धित थानेजात मे मंगवाकर उनकी चैकिंग की जानी चाहिए। इनकी आकस्मिक चैकिंग भी की जानी चाहिए।

2.3.17. पत्रकार सम्मेलन:

पुलिस तथा प्रशासन के उच्चाधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे दंगों के दौरान प्रतिदिन नियमित रूप से प्रेस समाचार समूह आदि के प्रतिनिधियों से निर्धारित स्थान पर मीटिंग करे उन्हे वास्तविक घटनाक्रम से अवगत करावे ताकि अफवाहों का प्रसार व प्रकाशन रोका जा सके तथा आम जनता में राज्य की प्रशासनिक क्षमता के प्रति विश्वास की भावना को बल मिल सके। इस हेतु राजकीय वाहनों पर लाउडस्पीकर लगाकर भी अफवाहों का खण्डन किया जावे।

2.3.18. इन्टेलीजेन्स:

साम्प्रदायिक दंगों व तनाव के दौरान इन्टेलीजेन्स विभाग की भी अहम भूमिका है। उक्त विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को अफवाह फैलाने वालों, अवैध हथियार, कारतूस, विस्फोटक सामग्री रखने वालों, प्राप्त करने वालों व विक्रेताओं की समस्याओं का राजनैतिक लाभ उठाने हेतु, किसी वर्ग विशेष के व्यक्तियों को भड़काने वालों, बाहर से आकर दंगा भडकाने वालों, पुलिस व अर्द्धसैनिक बलों के मनोबल व निष्पक्षता पर निगरानी रखकर तत्कालीन सूचनाएं एकत्र कर सम्बन्धित अधिकारियों को देनी चाहिए।

इस सम्बन्ध में आवश्यकतानुसार कुशल कर्मचारियों एवं अधिकारियों की तुरन्त ड्यूटी लगाई जावे। डायरिस्ट का कार्य भी इन्टेलीजेन्स विभाग के कर्मचारियों द्वारा किया जाना चाहिए।

2.4 साम्प्रदायिक तनाव व घटना के बाद की कार्यवाही

साम्प्रदायिक तनाव/ संघर्ष की घटना के तत्काल बाद शीघ्रताशीघ्र साम्प्रदायिक समरसता/सद्भावना पैदा हो सके इसके लिए यह आवश्यक है कि संघर्षरत /तनावरत समुदाय के प्रमुख व्यक्तियां के बीच सोहार्दपूर्ण संवाद करवाया जावे। इस बाबत शांति–समितियों का योगदान काफी उपयोगी रहता है। यह भी अपेक्षित है कि निम्न बिन्दुओं पर अपेक्षित कार्यवाही की जावेः–

2.4.1. प्रशासनिक समन्वयः

दंगाग्रस्त लोगों को डाक्टरी सुविधाएं, आर्थिक सहायता एवं पुनर्वास की कार्यवाही हेतु प्रशासन के विभिन्न विभागों को आपसी समन्वय से तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिए।

2.4.2 आवश्यक वस्तुओं का प्रबन्धः

दंगाग्रस्त क्षेत्रों में नियमित रूप से पानी, बिजली, खाद्यान्न व दूध आदि आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

2.4.3. अन्वेषण में तत्परताः

दंगों से सम्बद्ध पंजीबद्ध अपराधों का तत्परता से अनुसंधान कराया जाना चाहिए जिसके लिए विशेष अन्वेषक दल गठित किया जावें।

2.4.4. जांच सम्बन्धी सहयोगः

यदि साम्प्रदायिक दंगे के जांच हेतु कोई जांच समिति या जांच आयोग या जांच अधिकारी नियुक्त किया गया हो तो स्पष्ट कार्यसूची सुपुर्द की जाकर निर्धारित समय में रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निवेदन किया जावे। उक्त आयोग को राज्य सरकार के स्तर से वांछित सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित जिलाधीश को उक्त दायित्व संभालना चाहिए। समिति की रिपोर्ट की अनुपालना भी तीन माह के भीतर की जानी चाहिए।

2.4.5. चौकसीः

दंगे एवं उपद्रव से निपटने के बाद निरन्तर चौकसी बनाए रखी जावे। संवेदनशील स्थानों पर गश्त व पिकेट को तैनात किया जावे ताकि संवेदनशील स्थानों पर साम्प्रदायिक घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो।

2.4.6. साम्प्रदायिक दंगो की रिपोर्टः

साम्प्रदायिक घटनाओं/तनाव/दंगो के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही की समीक्षा तथा स्थिति के युक्तिसंगत आंकलन हेतु यह अपेक्षित है कि घटना सम्बन्धी ब्यौरा तत्काल उपलब्ध कराया जावे। इस दृष्टि से यह आवश्यक है कि घटना के 48 घण्टों के भीतर परिशिष्ट–4 में निर्धारित प्रपत्र में प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित किया जावे। तदन्तर दो सप्ताह के अन्दर परिशिष्ट–5 में निर्धारित प्रपत्र में विस्तृत ब्यौरा भेजा जावे।

2.4.7. पारितोषिक व सजाः

दंगा नियंत्रण, साम्प्रदायिक सौहार्द की भावना पुनर्स्थापन एवं जान माल की रक्षा के उत्कृष्ठ कार्य करने वालों को निष्पक्ष रूप से अविलम्ब उचित पारितोषिक दिया जाना चाहिए। इसमें नागरिकों व राज्य कर्मचारियों को यथेष्ट रूप से सम्मिलित किया जाना चाहिए। इस बाबत जिलाकर्मियों/अधिकारियों के बारे में संभागीय आयुक्त तथा महानिरीक्षक रेंज अर्हता निर्धारित करेगें और वरिष्ठ स्तर के लिए महानिदेशक एवं प्रमुख शासन सचिव, गृह के स्तर से ऐसा निर्धारण किया जावेगा।

2.5 घटनाओं का तथ्यात्मक विश्लेषण एवं अन्य कार्यवाहियां

2.5.1 साम्प्रदायिक दंगों के कारणों, प्रचार एवं नियंत्रण के सम्बन्ध में विश्लेषण किया जाकर तद्नुरूप आपात योजना में आवश्यक परिवर्तन एवं संशोधन किये जाने चाहिए।

2.5.2 पुलिस एवं अन्य जिला प्रशासन को ऐजेन्सियों के सहयोग, तत्परता, प्रभावशीलता, साधनों, कर्मियों आदि का भी विश्लेषण कर भविष्य में उसे और अधिक सशक्त बनाने के प्रयास किये जावे।

2.5.3.स्टाफ की डिब्रीफिंगः

साम्प्रदायिक दंगों के दौरान तैनात स्टाफ की अच्छी तरह से डीब्रीफिंग की जानी चाहिए ताकि भविष्य में पुलिस इंतजाम में आवश्यक संशोधन किये जा सकें।

2.5.4.निरोधात्मक कार्यवाहीः

कट्टरपंथियों एवं निष्कृष्ट समाजकंटकों के विरूद्ध निरोधात्मक समय–समय पर की जानी चाहिए।

2.5.5. प्रशासनिक निर्णयः

साम्प्रदायिक दंगों के विश्लेषण के आधार पर पुलिस एवं इन्टेलीजेन्स स्टाफ में भी आवश्यक स्थानांतरण एवं पदस्थापन तथा प्रशिक्षण की कार्यवाही की जावे।

2.5.6. दीर्घकालीन कार्य योजना:

साम्प्रदायिक समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इससे निपटने हेतु दीर्घकालीन कार्य योजना तैयार की जानी चाहिए। इस सम्बन्ध में अमित्र राष्ट्रों के द्वारा साम्प्रदायिक तत्वों को भडकाने, हथियार उपलब्ध कराने एवं आर्थिक सहयोग प्रदान करने आदि से सम्बन्धित मुद्दों के लिए इन्टेलीजेन्स विभाग को सतर्कता एवं सजगता से अग्रिम आसूचनाएं एकत्रित करनी चाहिए।

2.5.7. साम्प्रदायिक दंगों के दौरान प्रभावित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता:

राज्य सरकार द्वारा साम्प्रदायिक दंगों के दौरान प्रभावित व्यक्तियों एवं परिवारजनों को आर्थिक सहायता दिये जाने सम्बन्धी गृह विभाग के आदेश क्रमांक प. 2(17)गृह–5/02 दिनांक 27.08.2008 (परिशिष्ट–6) द्वारा विस्तृत योजना प्रचलित है। यह सुनिश्चित किया जावे कि इस योजना या घटना के समय प्रचलित इस योजना के संशोधित रूप के अनुसार मृतकों के आश्रितों/घायलों/प्रभावित व्यक्तियों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जानी है।

इसके अतिरिक्त गृह मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देश दिनांक 25.01.2010व गृह मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पत्रों दिनांक 29.06.2012, 14.11. 2013 20.01.2014 एवं दिनांक 03.07.2014 (परिशिष्ट–10 से 14) में भी साम्प्रदायिक दंगों के दौरान प्रभावित व्यक्तियों एवं परिवारजनों को तत्काल आर्थिक सहायता दिये जाने के प्रावधान हैं। जिलाधीश द्वारा इन प्रावधानों के तहत देय सहायता तत्काल जारी की जाकर पुनर्भरण के लिये राज्य सरकार के माध्यम से प्रस्ताव गृह मन्त्रालय भारत सरकार को भिजवाये जाये।

साम्प्रदायिक दंगों/सामाजिक उपद्रवों /तनाव के दौरान मृत व्यक्ति, जिनके शव उपलब्ध नही हो पाते है, ऐसे मृतकों के वैधानिक उत्तराधिकारियों को निर्धारित बन्धनाम एवं प्रतिभू–पत्र भरवाकर नियमानुसार आर्थिक सहायता प्रदान की जावे। बंधनामा एवं प्रतिभू–पत्र का प्रारूप परिशिष्ट–7 व 8 पर संलग्न है।

संलग्न: उपरोक्तानुसार
(परिशिष्ट 1 से 14 तक)

भवदीय

16/12/15

(ए0मुखोपाध्याय)
अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ।
2. सचिव अल्पसंख्यक आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. प्रमुख सचिव, राज्यपाल महोदय, जयपुर।
4. विशिष्ठ सहायक, गृह मंत्री, राजस्थान।
5. शासन सचिव कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर।

6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
8. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, राजस्थान।
9. समस्त महानिरीक्षक पुलिस रेंज, राजस्थान।
10. समस्त पुलिस आयुक्त, राजस्थान।
11. उप शासन सचिव,गृह (समन्वय) विभाग,जयपुर।
12. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक, राजस्थान।
13. रक्षित पत्रावली।

(दिनेश कुमार जांगिड़)
शासन उप सचिव, गृह
(मानवाधिकार) विभाग

परिशिष्ट

परिशिष्ट—1

साम्प्रदायिक स्थिति से निपटने के लिए आपात योजना

भाग—1

1. जिला
2. सर्किल / उपखण्ड
3. तहसील
4. थाना
5. पंचायत समिति
6. ग्राम पंचायत
7. ग्राम / नगर का नाम
8. गांव / नगर की कुल जनसंख्या
   (अ) हिन्दू जनसंख्या
   (ब) मुस्लिम जनसंख्या
   (स) अन्य
9. संवेदनशील / अति–संवेदनशील स्थानों की सूची एवं पुलिस थाने से दूरी (नक्शे सहित)
10. प्रमुख पडौसी गांवों / नगर के नाम / दूरी / जनसंख्या
11. ऐस पडौसी गांव / नगर जहां तनाव / दंगा होने पर तुरन्त प्रतिक्रिया होती है की सूचीः—

1.	2.	आदि
3.	4.	

भाग—2

जिला / नगर / गांव का साम्प्रदायिक दृष्टि से विगत 10 वर्षों का संक्षिप्त इतिहासः—

भाग—3

जिला / नगर / गांव में हिन्दू व मुस्लिम सम्प्रदायों के मध्य स्थाई विवादों का विवरण मय वर्तमान स्थितिः—

भाग —4

1. जिला / नगर / गांव में साम्प्रदायिक / कट्टरपंथी संगठनों / व्यक्तियों के पते नाम एवं टेलीफोन नम्बर
   (अ) हिन्दू सम्प्रदाय
   (ब) मुस्लिम सम्प्रदाय

2. जिला /नगर/गांव के असामाजिक तत्वों के नाम व पते (मय क्रिमिनल रिकार्ड) :–

(अ) हिन्दू सम्प्रदाय

(ब) मुस्लिम सम्प्रदाय

(स) अन्य

3. अफवाहें फैलाने वालों की सूची (मय तरीका, सरकार की ओर से उनके खण्डन्न का तरीका व स्तर):--

भाग –5

पार्ट– "अ"

1. जिला /नगर/गांव के प्रमुख धार्मिक स्थलों की सूची एव पते (मय धार्मिक विवाद, यदि कोई हो) :–

(अ) हिन्दू धर्म स्थल

(ब) मुस्लिम धर्म स्थल

(स) सिक्ख धर्म स्थल

(द) जैन सम्प्रदाय

(य) अन्य

2. त्यौहारों की सूची, मानने का तरीका, जुलूस का रूट, समय, संख्या जुलूसार्थीगण, प्रदर्शन (यदि कोई हो), मार्ग में आने वाले अन्य धार्मिक स्थलों का विवरण व पूर्व में कोई विवाद हुआ हो तो उसका विवरण, विशेष सतर्कता बावत निर्देश :–

(अ) हिन्दूओं का त्यौंहार

(ब) मुस्लिम त्यौंहार

(स) अन्य

पार्ट– "ब"

1. आवश्यक पुलिस दल, मौके पर उपस्थित पुलिस अधिकारी द्वारा वहां पर तुरन्त उपलब्ध साधनों से सार्वजनिक जीवन एवं सम्पत्ति संबंधी बचाव कार्य एवं रोकथाम की कार्यवाही :–
   (अ) बचाव कार्य व रात कार्य
   (आ)रोकथाम की कार्यवाही व सतर्कता
   (इ) पुलिस की गाडी या अन्यत्र अस्थाई घटनास्थल चौकी कायम करना, कण्ट्रोल रूम को सूचित करना।
   (ई) आवश्यक पुलिस दल की तलबी।
   (उ) अत्यावश्यक सेवाएं तुरंत चालू करना।
2. जिले के विभिन्न स्थानों से बुलाए जाने वाले पुलिस दल का विवरण मय स्थान का नाम।

3. जिले के बाहर से बुलाए जाने वाले पुलिस दल का विवरण व स्थान का नाम।
4. जिले के बाहर से बुलाए जाने वाले पुलिस दल को ठहराने की व्यवस्था का विवरण
(भोजन, पानी आदि की व्यवस्था)
5. कैम्प कमाण्डेण्ट
6. स्थान जहां पर स्थाई पिकेट लगानी होगी।
(संख्या का विवरण भी दे)
7. विभिन्न बीट/सैक्टर के नाम जहां गश्त लगानी है:–
(जाप्ता विवरण भी दें)
8. उन स्थानों के नाम जहां नाकेबन्दी की जानी है :–
(संख्या शस्त्र व वाहन का विवरण)
(अ) बाहर से आने वाले हर वाहन की तलाशी होगी, जिससे नाजायज हथियार नहीं आ सके एवं बाहर के गुण्डे बदमाश नहीं आ सके।
(ब)राजनेताओं/हिन्दू मुस्लिम संगठनों के बाहर से आने वाले व्यक्तियों पर नजर रखनी होगी।
9. स्ट्राईकिंग फोर्स/रिजर्व फोर्स का विवरण:–
(पद, शस्त्र, संख्या, स्थान व वाहन आदि का विवरण)।
10. (अ) कन्ट्रोलरूम का टेलीफोन नं0, प्रभारी का नाम व पद तथा तैनात स्टाफ का विवरण :–
(आ) घटनास्थल पुलिस चौकी वायरलैस कोड न0, प्रभारी का नाम, पद व अन्य स्टाफ की तैनाती।
11. निकटतम पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र का नाम व टेलीफोन नम्बर।
12. निकटतम आर.ए.सी कम्पनी/बटालियन का पता व टेलीफोन नम्बर।
13. होम गार्ड की उपलब्धता का विवरण :–
14. फायर ब्रिगेड व्यवस्था, लोकेशन, कन्ट्रोल आदि।
15. (अ) एम्बूलैन्स व्यवस्था:–
(आ) लोडिंग व पार्किंग स्थल
(इ) फर्स्ट एड पोस्ट की लोकेशन
(ई) मृतक व्यक्तियों के पोस्टमार्टम हेतु निर्धारित स्थान व उन्हें मौके से उठाकर एकत्रित करने का अस्थाई स्थान।
16. लाउडस्पीकर की व्यवस्था/गाडियों की व्यवस्था:–
17. वायरलैस की व्यवस्था:
18. निकटवर्ती अस्पताल का नाम, प्रभारी का नाम व पता, टेलीफोन नम्बर।
19. गाडियों की आवश्यकता का विवरण एवं प्राप्ति का स्त्रोत।
20. (अ) आवश्यक सेवाओं के प्रभारियों के नाम, पते व टेलीफोन नम्बर
(बिजली, पानी, रसद आदि)
(आ) आवश्यक सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों के आने–जाने के रास्तों का विवरण व उनकी सुरक्षा की व्यवस्था।
21. इलाके का नक्शा।
22. समाचार पत्रों की सूचना देने-वाले अधिकृत अधिकारी का नाम, पता, टेलीफोन नम्बर:–
23. धारा 144 जा0 फौ0 के आदेश का प्रारूप:–

(1) कर्फ्यू आदेश का प्रारूप :–

(2) हथियार/लाठी लेकर चलने, 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर लाउडस्पीकर बजाने, जुलूस निकालने आदि पर प्रतिबंध हेतु 144 जा0फौ0 का प्रारूपः–

24. सोशल मीडियां (इन्टरनेट) पर प्रतिबंध लगाने का प्रारूप।
25. शहर/गांव के नाम जहां दंगा होने के बाद तुरन्त (रिएक्शन) प्रतिक्रिया होती है। तुरन्त पुलिस दल/ निर्देश भेजकर गश्त कराई जावेगी।
26. गुण्डे, बदमाश व साम्प्रदायिक व्यक्तियों के विरूद्ध 151/108/116(3) जा0फौ0 के अंतर्गत कार्यवाही कराई जावेगी। आवश्यकता होने पर एन.एस.ए की कार्यवाही की जावेगी।
27. अन्वेषण दल के प्रभारी का नाम, पद मय संख्या।
28. स्वयंसेवी संस्थाओं का विवरण, कार्य में संलग्न व्यक्तियों के पहिचान पत्र जारी करना, राजकीय संस्थाओं से सम्पर्क करने का स्तर।
29. रेस्ट हाउस का विवरण।
30. इमरजेंसी में भोजन, कपड़े, दवाओं की व्यवस्था।
31. घटनास्थल पर विशिष्ठ व्यक्तियों की यात्रा के संबंध में रूट सुरक्षा व्यवस्था आदि।
32. घटना बही में घटनाओं का सही–सही तुरन्त लेखांकन मय गवाहान के नाम पते आदि की व्यवस्था।
33. पुलिस रिजर्व का विवरण।
34. जनसम्पर्क व सूचना केन्द्र का विवरण।
35. मौके पर उत्कृष्ट/निकृष्ट कार्य करने बाबत विवरण।
36. न्यायिक जांच होने की अवस्था में संक्षिप्त एक्शन प्लानं
37. मौके से जाप्ता हटाने का क्रम।

परिशिष्ट —2

थानास्तरीय साम्प्रदायिक सूचनाओं संबंधी पाक्षिक रिपोर्ट

माह.......................................दिनांक..................................से दिनांक ....तक

1. हिन्दू मुस्लिम तनाव पैदा करने वाली घटनाओं का संक्षिप्त विवरण (मय संक्षेप व असंक्षेप अपराध, 107, 151, 145 जा. फौ. की कार्यवाही)
2. पूर्व पखवाडों में घटित तनावों के कारण उत्पन्न हुई परिस्थिति यदि कोई हो।
3. ऐसे मामले जिनमें पुलिस को औपचारिक रिपोर्ट नहीं दी गई परन्तु तनाव पैदा कर सकते हैं।
4. साम्प्रदायिकता के संबंध में अफवाहों का विवरण व इनके खण्डन हेतु किये गये उपायों का विवरण।
5. आलोच्य पखवाडे में आने वाले ऐसे त्योहार जिन पर तनाव पैदा हो सकता है मय पुलिस प्रबंन्ध का विवरण।
6. अगले आने वाले दो पखवाडों में आने वाले ऐसे त्यौहारों का विवरण जिन पर साम्प्रदायिक तनाव बढ़ सकता है मय प्रस्तावित पुलिस व्यवस्था।
7. अवैध निर्माण मय धार्मिक स्थल, जिनसे साम्प्रदायिक तनाव पैदा हो सकता है।
8. शान्ति समिति व मौजिज व्यक्तियों से विचार–विमर्श कर समस्याओं को हल करने लिए किये गये प्रयासों का विवरण।
9. थाना व चौकी को आवश्यक हिदायतें दी गई या नहीं।
10. विशेष विवरण मय किसी पुलिसकर्मी की अच्छी/खराब भूमिका।

परिशिष्ट –3

Vijai Shankar Singh
I.A.S.

Government of Rajasthan
Principal Secretary to Government
Home Affairs and Transport Department
Ex- officio Chief Vigilance Commissioner
Government Secretariat, Jaipur-302 005

No. F.9(57)Home-5/2007 dated 4th August, 2007.

The District Magistrate

All Districts of Rajasthan.

Sub: Guidelines for armed forces aid to civil authorities.

Sir,

As you are aware, armed forces may be called upon to perform following duties in aid to civil authorities:-

1. Maintenance of Law & Order.
2. Maintenance of Essential Services.
3. Assistance during Natural and other calamities.
4. Assistance for execution of development projects.
5. Any other assistance which he may needed by the civil authority and armed forces in a position to render.

While section 130 cr. PC provides for use of armed forces for maintenance of law & order and the assistance is, therefore, sought under legal stipulations, the assistance of armed forces in other situations is to be sought under administrative arrangements as per instructions issued by Govt. of India. Nevertheless, in all situations, it is essential that before calling upon armed forces for aid, the District Magistrate must see that the resources available with the civil administration have been appropriately deployed and the same are found to be insufficient to meet the eventuality and he is also convinced that the aid of armed forces will be helpful in meeting the same. On being so satisfied, the civil authorities shall requisition armed forces for aid.

I. Requisitioning Armed Forces for maintenance of Law & Order.

Whenever the District Magistrate anticipates serious problem of law & order and is convinced that the resources available with him in the district, even after ascertaining the availability of additional resources from state police and para military forces likely to be made available to him, are not sufficient to maintain the law & order, he must contact the Secretary in-charge, Home department in the State Government and apprise of the situation. He should also, simultaneously, contact the nodal officer of armed forces, apprise him with the

situation and ask him to be in the state of preparedness. The requirement of forces must also be indicated.

As soon as he is convinced that the armed forces should be requisitioned for aid a written requisition (by District Magistrate) for desired quantum of force should be sent to the above mentioned nodal officer and at least one Executive Magistrate should be kept ready to be detailed with each column of the armed forces. The Execution magistrate should be duly briefed about their role and responsibility. Such Magistrate should not only be fully familiar with the magnitude of prevailing law & order situation but should also be capable of advising the column Commander on use of force and coordinating with the District magistrate.

As soon as the District Magistrate gets convinced that the resources available with Civil Administration are sufficient to manage the situation, he must derequisition all armed forces by written communication.

All expenditure on the deployment of armed forces for maintenance of law & order is borne by Central Government.

II. For assistance for maintenance of essential services/during natural calamities/execution of development projects:

The armed forces should be requisitioned for assistance to (i) maintain essential service, (ii) deal with natural calamities and (iii) execute development projects, when the resources available with the civil authorities are found to be insufficient. Therefore, it is essential that the District Magistrate is fully aware of the resources available with the armed forces within his district of elsewhere. However, in case the assistance required is not available in the district concerned, the District Magistrate should forthwith contact Secretary in-charge, Home Department/ Secretary in-charge, Disaster Management, who may be helpful in getting the assistance.

Ministry of Defense has laid down certain norms for recovery of cost for providing assistance in such cases. The same is as under:-

a. Armed forces called for maintenance of essential service.
b. Armed forces called for Disaster Management.
c. Armed forced called for execution of development projects.

The District magistrate must details suitable officer to liaison with the armed forces and for proper coordination with the civil authorities.

A booklet entitled **"Army Training Note ATN/DOC/3/99 – Aid to Civil Authorities"** which is a restricted document, is also being enclosed herewith in a sealed cover. This must be kept in safe custody and should be referred by DM only.

Sd. /-4-8-07
(V.S. Singh)
Pr. Secretary to Government.

Encl : as above.

परिशिष्ट —4

साम्प्रदायिक दंगों रिपोर्ट की जांच सूची (चेक लिस्ट)

1. घटनास्थल का नाम मय जिला।
2. क्या घटनास्थल/जिला को साम्प्रदायिक रूप से संवेदनशील/आतसवेदनशील रूप से वर्गीकृत किया गया।
3. साम्प्रदायिक दंगे के घटित होने की दिनांक एवं अवधि। क्या घटना स्थानीय/राष्ट्रीय त्यौहारों के दौरान या उसके आस पास के समय में घटित हुई।
4. क्या इस क्षेत्र का साम्प्रदायिक घटनाओं के घटित होने संबंधित विगत इतिहास हैं?
5. यदि ऐसा है, तो पूर्व में हुऐ दंगे के होने की दिनांक, मय मारे गये व्यक्तियों, घायलों की संख्या, सम्मत्ति की हानि, पंजिकृत मुकदमों एवं निस्तारित मुकदमों की संख्या का संक्षिप्त विवरण देवें।
6. क्या इस क्षेत्र में राज्य इन्टैलीजैंस ऐजेन्सी द्वारा साम्प्रदायिक भावनाओं के शनैः शनैं भडकने की अग्रिम चेतावनी दी गयी थी? यदि ऐसा है, तो समय पर कार्यवाही करने में विफल रहने के क्या कारण रहे?
7. दंगा घटित होने का अनुमानित समय एवं दिनांक तथा जिला प्रशासन को सूचना प्राप्त होने व दंगा नियंत्रण के लिये कार्यवाही प्रारंभ करने का समय एवं दिनांक।
8. दंगे के कारण बन्दी बनाये गये/गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों को बन्दी बनाये जाने के मध्य लगा कुल समय। यदि विलम्ब हुआ होता तो उसका औचित्य दर्शाये? बिना किसी ठोस सबूत के किसी व्यक्ति को 4 घण्टों से अधिक हिरासत में रखने का संक्षिप्त विवरण दें एवं बाद में उसे रिहा करने का कारण भी बतायें ?
9. दंगें के कारण गिरफ्तार व्यक्तियों के विरूद्ध दर्ज मुकदमों की संख्या तथा उनमें से जिन मुकदमों हेतु अभियोजन की कार्यवाही शुरू की जा चुकी है, की संख्या बताये?
10. दंगे के कारण गिरफ्तार व्यक्तियों के विरूद्ध मुकदमों के पंजीकृत करने एवं उन्हें न्यायालयों में पेश करने के मध्य कुल कितना समय लगा? यदि मुकदमों के न्यायालय में पेश करने में कोई विलम्ब हुआ हो, तो उसके कारण भी दर्शायें?
11. मात्र इसी दंगे के कारण दर्ज मुकदमों के निस्तारण के लिये किसी विशिष्ठ न्यायालय का गठन किया गया हैं? यदि नहीं, तो इन मुकदमों की सुनवाई हेतु क्या किसी न्यायालय/न्यायालयों को चिन्हित किया गया हैं? अथवा इन मुकदमों की सामान्य न्यायालयों में ही सुनवाई की जा रही है। कृपया इन मुकदमों को विशिष्ठ न्यायालयों/चिन्हित न्यायालयों के बजाय सामान्य न्यायालयों में निस्तारण करने हेतु/कराने हेतु लिये गये निर्णय के औचित्य का विस्तृत विवरण दें?
12. दंगे में पीड़ित व्यक्तियों की संख्या को दर्शाते हुए विस्तृत विवरण दें। क्या पीडितों को केन्द्रीय मार्ग दर्शिका के अनुसार वित्तीय सहायता/आर्थिक सहायंता का

भुगतान कर दिया गया हैं। यदि नहीं, तो इसके कारण बतायों। यदि वित्तीय सहायता प्रदान करने में किसी प्रकार का विलम्ब हुआ हो तो उसके कारण दर्शायें?

13. दंगा नियन्त्रण के लिये अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक आधार पर क्या कदम उठाये गये।
14. क्या जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक के विरूद्ध कोई कार्यवाही की गई हैं? यदि हॉ, तो उसका विस्तृत विवरण बतायें?
15. दंगा गस्त क्षेत्र के पर्यवेक्षण का स्तर क्या था?
16. क्या यह घटना भिन्न (अलग) प्रकृति की हैं? अथवा यह भविष्य में साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न करने जैसी हैं?
17. मुख्यमंत्री का मूल्यांकन।

परिशिष्ट –5

साम्प्रदायिक घटनाओं/तनावों की जांच रिपोर्ट बाबत प्रोफार्मा (36 बिन्दु प्रतिवेदन)

1. घटनास्थल का नाम मय तहसील थाना एवं जिले का नाम।
2. संबंधित गांव/कस्बा/शहर के हिन्दु मुस्लिम जनसंख्या का तुलनात्मक विश्वलेषण।
3. समुदाय मय जाति व उपजाति जिन्होंने साम्प्रदायिक तनाव/घटना में भाग लिया।
4. उस सम्प्रदाय का नाम जिसने घटना/तनाव की शुरूआत की।
5. साम्प्रदायिक घटना/तनाव से प्रभावित क्षेत्र।
6. साम्प्रदायिक घटना/तनाव का तात्कालिक कारण।
7. साम्प्रदायिक/तनाव की विस्तृत तथ्यात्मक रिपोर्ट मय पृष्ठभूमि।
8. साम्प्रदायिक घटना में गुण्डा तत्वों या असामाजिक तत्वों का हाथ हैं, अगर है तो उनके नाम आदि सहित पूर्णर विवरण।
9. सम्पत्ति के नुकसान का ब्यौरा मय अनुमानित मूल्य।
   1. हिन्दू समुदाय की सम्पत्ति
   2. मुस्लिम सम्प्रदाय की सम्पत्ति
   3. सरकारी सम्पत्ति
   4. सार्वजनिक
10. साम्प्रदायिक घटना में मृतक व घायल व्यक्तियों के नाम।
11. अगर साम्प्रदायिक दंगों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को गोली चलानी पडी हो तो निम्न बिन्दुओं पर विस्तृत रिपोर्टः–
    (अ) पुलिस को कितनी बार गोली चलानी पडी।
    (ब) पुलिस ने कितने राउण्ड गोली चलाई।
    (स) पुलिस द्वारा गोली चलाने से अगर कोई व्यक्ति मर गया या घायल हुआ तो उसका नाम।
12. साम्प्रदायिक घटना में मृतक व घायल पुलिस कर्मचारियों की संख्या मय नाम।
13. पुलिस सम्पत्ति के नुकसान का ब्यौरा मय अनुमानित मूल्य।
14. क्या दंगाकारियों द्वारा साम्प्रदायिक घटना/तनाव में फायर आर्म्स व विस्फोटक पदार्थों का प्रयोग किया गया, अगर हां तो निम्न बिन्दुओं पर विस्तृत तथ्यात्मक रिपोर्टः–
    (अ) विस्फोटक या फायर आर्म्स किस सम्प्रदाय की तरफ से प्रयोग में लाए गए तथा किस व्यक्ति के द्वारा।
    (ब) इससे घायल व मृतक व्यक्तियों के नाम।
    (स) इससे घायल व मृतक पुलिस कर्मचारियों के नाम।
    (द) फायर आर्म्स व विस्फोटक पदार्थ का पूर्ण विवरण।
    (य) फायर आर्म्स व विस्फोटक पदार्थ के बाबत दर्ज मुकदमा के नंबर मय एफ.आई. आर. की प्रतिलिपि।
    (र) पुलिस द्वारा बरामद फायर आर्म्स एवं विस्फोटक पदार्थों का पूर्ण ब्यौरा तथा उन व्यक्तियों के नाम जिनसे ये बरामद हुआ।
15. उन व्यक्तियों के नाम मय पूर्ण भूमिका जिन्होंने साम्प्रदायिक घटना को उत्पन्न करने व बढाने में प्रमुख भूमिका निभाई तथा पार्टी व संस्था का नाम जिससे उसका संबंध है।
16. साम्प्रदायिक घटना को उत्पन्न करने या उत्पन्न होने के बाद उसे अधिक बढाने में जिन राजनैतिक पार्टियों/संस्थाओं ने प्रमुख भूमिका निभाई उसका पूर्ण विवरण।

17. अगर जिला प्रशासन द्वारा साम्प्रदायिक घटना को समय पर नियंत्रित करने में कोई असावधानी बरती हो तो उसका पूर्ण विवरण।
18. साम्प्रदायिक घटना का भविष्य में पडने वाला प्रभाव एवं प्रतिक्रिया।
19. क्या साम्प्रदायिक घटना को नियंत्रित करने हेतु सेना या अर्द्धसैनिक बलों का सहारा लिया गया ? अगर हॉं, तो उसका विवरण।
20. पुलिस या मिलिट्री द्वारा साम्प्रदायिक घटना को नियंत्रण में लाने हेतु किए गए बल प्रयोग का पूर्ण विवरण।
(अ) लाठी का प्रयोग
(ब) अश्रु गैस का प्रयोग।
(स) अन्य बल प्रयोग।
(द) इस प्रकार के बल प्रयोग से घायल व्यक्तियों के नाम।
21. क्या साम्प्रदायिक घटना/तनाव के नियन्त्रण हेतु शांति समिति की स्थापना की गई ? अगर हां, तो उसका पूर्ण विवरण।
1. शांति समिति की स्थापना की दिनांक।
2. शांति समिति के सदस्यों की सूची।
3. शांति समिति की क्या भूमिका रही ?
4. शांति समिति के प्रति दोनों सम्प्रदायों में व्याप्त प्रतिक्रिया।
22. असामाजिक तत्वों, गुण्डा तत्वों व दंगाकारियों के खिलाफ की गई कानूनी कार्यवाही।
23. पुलिस द्वारा सुरक्षात्मक कार्यवाही की या नहीं। कारण सहित कार्यवाही का पूर्ण विवरण।
24. पुलिस, जिला प्रशासन व राज्य सरकार आदि द्वारा निभाई गई भूमिका।
25. क्या साम्प्रदायिक घटना बाबत कोई जांच कमेटी नियुक्त की गई हैं ? अगर हां, तो उसका निम्नल बिन्दुओं पर पूर्ण विरण:-
1. जांच कमेटी की प्रगति मय जांच अधिकारी का नाम।
2. जांच कमेटी किसके आदेश से नियुक्त की गई ?
3. इसका कार्यकाल क्या होगा व किन मुद्दों पर ये कमेटी जांच करेगी ?
26. साम्प्रदायिक घटना अफवाहों की भूमिका व उसका प्रभाव तथा इस संबंध में जिला प्रशासन द्वारा की गई कार्यवाही।
27. साम्प्रदायिक घटना की अग्रिम सूचना (Advance Intelligence) एकत्रित की गई हों तो उसका निम्न बिन्दुओं पर पूर्ण विवरण।
1. अग्रिम सूचना किस अधिकारी द्वारा एकत्रित की गई ?
2. किसी संबंधित अधिकारी को अगर यह सूचना दी गई तो किस अधिकारी को व किस तारीख को एवं क्या सूचना दी तथा उनके द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई?
3. अगर अग्रिम रूप से सूचना एकत्रित नहीं की गई तो उसका विवरण।
28. साम्प्रदायिक घटना/तनाव में अगर विदेशी हस्तक्षेप है तो उसका पूर्ण विवरण।
29. साम्प्रदायिक घटना को उत्पन्न करने के लिए अगर किसी व्यक्ति या राजनैतिक पार्टी या संस्था द्वारा कोई वित्तीय सहायता प्रदान की गई हो तो उसका विवरण।
30. साम्प्रदायिक घटना को राजनैतिक पार्टियों/संस्थाओं की भावी योजनाओं को पूर्ण विवरण।
31. साम्प्रदायिक घटना में घायल व्यक्तियों को दी गई चिकित्सा सहायकता को पूर्ण विवरण।

32. साम्प्रदायिक घटना/तनाव में प्रेस की भूमिका पर निम्न बिन्दुओं पर पूर्ण विवरण।
   1. अखबार/मैगजीन आदि का नाम व प्रकाशित लेख का पूर्ण विवरण।
   2. आपत्तिजनक लेख वाले अखबार व पम्पलेट आदि की प्रतिलि.पि।
   3. इस संबंध में जिला प्रशासन द्वारा की गई कार्यवाही।
   4. इस संबंध में दर्ज मुकदमात का पूर्ण विवरण मय एफ.आई.आर. की प्रतिलिपि।
   5. इस संबंध में गिरफ्तार व्यक्तियों के नाम आदि।
   6. अन्य किसी प्रकार के आपत्तिजनक इश्तिहार आदि का विवरण।
33. साम्प्रदायिक घटना के संबंध में अगर आपित्तजनक भाषण दिये गये तो उसका निम्न बिन्दुओं पर पूर्ण विवरण।
   1. भाषण देने वाले व्यक्तियों का नाम व राजनैतिक पार्टी व संस्था का नाम जिससे उसका संबंध है।
   2. भाषण की तारीख व स्थान।
   3. भाषण का सारांश
   4. इस संबंध में की गई कार्यवाही व अगर कोई मुकदमा दर्ज हुआ है तो उसका पूर्ण विवरण मय एफ.आई.आर. की प्रतिलिपि।
34. घटना के संबंध में दर्ज समस्त मुकदमात का पूर्ण विवरण मय एफ.आई.आर. की प्रतिलिपि व उनमें गिरफ्तार व्यक्तियों के नाम व गिरफ्तारी की दिनांक।
35. अगर साम्प्रदायिक घटना स्थाई विवादग्रस्त सम्पत्ति आदि के बारे में हुई है तो उस विवादग्रस्त स्थान का नक्शा मौका, क्षेत्रफल, उपलब्ध सरकारी रिकार्ड व अन्य आधार जिनके आधार पर दोनों सम्प्रदाय अपना अधिकार मानते हैं, का पूर्ण विवरण। अगर इस संबंध में कोई समझौता पहले हुआ हो या वर्तमान में हुआ है तो उसका अन्य विवरण।
36. साम्प्रदायिक घटना के संबंध में अन्य विवरण।
   1. यदि धारा 144 जा. फौ. लागू की गई है तो किस दिनांक को व कितनी अवधि के लिए।
   2. यदि कर्फ्यू लगाना पड़ा तो किस तारीख से व कितनी अवधि के लिए।
   3. धारा 144 जा. फौ. का उल्लंघन करने पर गिरफ्तार व्यक्तियों के नाम।
   4. साम्प्रदायिक घटना बाबत आपकी टिप्पणी व साम्प्रदायिक सद्भाव हेतु आपके सुझाव।
   5. घटना बाबत अन्य आवश्यक विवरण जो आप प्रस्तुत करना चाहते हैं।

परिशिष्ट —८

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप—5) विभाग

क्रमांक : प.2(17)गृह—5/02 जयपुर, दिनांक : 27 अगस्त 2008

साम्प्रदायिक दंगों, सामाजिक उपद्रवों के दौरान प्रभावित व्यक्तियों एवं परिवारजनों को आर्थिक सहायता संबंधी योजना नियम, 2006

राज्य में साम्प्रदायिक, गैर—साम्प्रदायिक दंगों एवं आतंकवादी गतिविधियों आदि में मृत व्यक्ति के परिजनों, शारीरिक/सम्पत्ति के नुकसान के संबंध में मुआवजा के रूप में जीवन यापन हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु साम्प्रदायिक दंगो,सामाजिक उपद्रवों एवं आतंकवादी गतिविधियों के दौरान प्रभावित व्यक्तियों एवं परिवारजनों को आर्थिक सहायता संबंधी योजना संचालन नियम, 2005 के अतिकमण में राज्य सरकार निम्नानुसार नियम (योजना) बनाती हैं :—

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रभावित क्षेत्रः—**
   - i. यह नियम साम्प्रदायिक दंगों, सामाजिक उपद्रवों एवं आतंकवादी गतिविधियों के दौरान प्रभावित व्यक्तियों एवं परिवारजनों को आर्थिक सहायता संबंधी योजना संचालन नियम, 2008 कहलायेंगे।
   - ii. यह नियम सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।
2. **परिभाषाएंः—**
   - i. "राज्य सरकार" से तात्पर्य राजस्थान सरकार से है।
   - ii. "विभाग" से तात्पर्य राजस्थान सरकार के गृह विभाग से अभिप्रेत है।
   - iii. "साम्प्रदायिक दंगा" से तात्पर्य कानून एवं व्यवस्था की ऐसी स्थिति से है जिसमें दो संप्रदायों के मध्य विवाद के दौरान आपसी संघर्ष में या कानून व्यवस्था की स्थिति स्थापित करने के दौरान जन—धन की क्षति हुई हैं नितांत व्यक्तिगत विवाद में जन—धन हानि के प्रकरण सम्मिलित नहीं है।
   - iv. "सामाजिक उपद्रव की घटना" से तात्पर्य कानून एवं व्यवस्था की ऐसी स्थिति से हैं जिसमें दो समुदायों या समूहों के बीच संघर्ष के दौरान या ऐसे संघर्ष के दौरान या ऐसे संघर्ष के नियंत्रण के दौरान या धरना, प्रदर्शन के समय कानून—व्यवस्था स्थापित करने के दौरान जन—धन की क्षति होती हैं नितांत व्यक्तिगत विवाद के दौरान जन—धन की हानि के प्रकरण सम्मिलित नहीं है।
   - v. "आतंकवादी गतिविधियों" से तात्पर्य कानून एवं व्यवस्था की ऐसी स्थिति से है जिसमें आतंकवादी हमलों से जनधन की क्षति हुई हो।
   - vi. "स्थायी निःशक्तता" से निम्नलिखित प्रकार की उपहतियाँ (Hurts) अभिप्रेत हैं :—
     - (अ) पुंसत्वहरण (Emasculation)।
     - (ब) दोनों नेत्रों की दृष्टि का स्थायी विच्छेद।
     - (स) दोनों कान की श्रवण शक्ति का स्थायी विच्छेद।
     - (द) किसी भी अंग या जोड़ का विच्छेद।
     - (य) किसी भी अंग या जोड की शक्तियों का नाश या स्थाई ह्रास।

vii. "अस्थाई निःशक्तता" से निम्नलिखित प्रकार की उपहतियाँ (Hurts) अभिप्रेत हैं:–

(अ) दोनों में से किसी भी एक नेत्र की दृष्टि का स्थायी विच्छेद।

(ब) दोनों में से किसी भी एक कान की श्रवण–शक्ति का स्थायी विच्छेद।

(स) किसी भी अंग या जोड़ का अस्थाई विच्छेद।

(द) किसी भी अंग या जोड की शक्तियों का अस्थाई ह्रास।

(य) सिर या चेहरे का स्थायी विद्रूपीकरण (Disfiguration)।

viii. गंभीर उपहतियाँ (Hurts) से मृत्यु और स्थाई तथा अस्थाई निःशक्तता के सिवाय अन्य उण्हतियाँ (Hurts) अभिप्रेत हैं।

ix. "आर्थिक सहायता प्राप्ति हेतु पात्रता" मृत्यु होने, घायल होने अथवा सम्पत्ति का नुकासन होने पर मृतक के आश्रित, घायल व्यक्ति स्वयं एवं सम्पत्ति के मालिक मुआवजा के रूप में आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु अधिकृत हैं।

x. "सक्षम अधिकारी" आर्थिक सहायता स्वीकृत करने हेतु संबंधित जिला कलेक्टर सक्षम अधिकारी है।

3. **आर्थिक सहायता – मापदण्ड :–**

क्र.सं.	विवरण	राशि (रूपयों में)
1.	मृत्यु (परिवार का ये सदस्य कमाने वाला या नहीं कमाने वाला हो सकता है)	5,00,000
2.	स्थायी अशक्तता (परिवार का ये सदस्य कमाने वाला या नहीं कमाने वाला हो सकता है)	2,00,000
3.	अस्थायी अशक्तता	40,000
4.	गंभीर रूप से घायल (स्थायी, अस्थायी अशक्तता के अतिरिक्त)	1,00,000
5.	घर/दुकान की संरचना का पूर्ण रूप से नुकसान	50,000 तक
6.	घर/दुकान की संरचना का आंशिक रूप से नुकसान	5,000 तक
7.	आगजनी अथवा अन्यथा कृषि सम्पत्ति/चल सम्पत्ति अथवा दुकान में रखे सामान को नुकसान	3,000
8.	जीविकोपार्जन हेतु मोटरयान, नाव अथवा बैलगाड़ी/ऊँटगाड़ी इत्यादि का नुकसान	3,000

बजट जिसमें भुगतान किया जावेगा :–

2235 – सामाजिक सुरक्षा और कल्याण

60 – अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम

200 – अन्य योजनाएं

(02) – बलवों से प्रभावित व्यक्तियों को सहायता

12 – सहायतार्थ अनुदान/अंशदान/सहायय (आयोजना भिन्न)

4. **आर्थिक सहायता हेतु पात्रता :–**

i. साम्प्रदायिक दंगे या सामाजिक उपद्रव या आतंकवादी गतिविधियों की घटना के दौरान मृत्यु होने की दशा में यह सहायता मृतक के आश्रित को देय होगी। व्यक्तिगत विवाद के कारण जन–धन की हानि संबंधी प्रकरणों में प्रभावित व्यक्ति पात्र नहीं होंगे।

ii. इसी प्रकार साम्प्रदायिक दंगा या सामाजिक उपद्रव या आतंकवादी गतिविधियों की घटना के दौरान स्थायी/अस्थायी अशक्तता, गंभीर रूप से घायलों को स्वयं को आर्थिक सहायता देय होगी। साथ ही घर व दुकान को पूर्ण एवं आंशिक क्षति आगजनी अथवा अन्यथा कृषि सम्पत्ति/चल सम्पत्ति अथवा दुकान में रखे सामान की क्षति एवं जीविकोपार्जन के साधन यथा मोटरयान, नाव बैलगाड़ी/ऊँटगाड़ी इत्यादि को नुकसान के सन्दर्भ में संबंधित को आर्थिक सहायता उपलब्ध होगी।

5. **आर्थिक सहायता स्वीकृति की प्रक्रिया:–**

i. सामान्य परिस्थितियों में जिला कलेक्टर द्वारा मांग के अनुसार अपने प्रस्ताव तैयार कर गृह विभाग को भिजवाये जाये तथा गृह विभाग से प्रावधान स्वीकृत होने पर आवश्यक स्वीकृति जारी की जाकर संबंधित व्यक्ति/उसके परिजन को निर्धारित मापदण्ड के अनुसार निर्धारित बजट मद जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है से भुगतान किया जावेगा।

ii. जिला कलेक्टर उपलब्ध दिशा निर्देशों के अधीन जिन मदों के अन्तर्गत राशि स्वीकृत करने हेतु अधिकृत हैं, उसमें आवश्यक बजट प्रावधान उपलब्ध नहीं है तो विशेष परिस्थितियों में आवश्यक स्वीकृति जारी कर जिलाधीश कार्यालय में उपलब्ध अन्य आकस्मिक कोष से राशि का भुगतान किया जाकर तत्काल प्रस्ताव गृह विभाग को भिजवा दिये जाये ताकि आवश्यक प्रावधान संबंधित बजट मद में वित्त विभाग से कराया जाकर राशि का पुनर्भरण संबंधित कोष को किया जा सके।

iii. विशेष परिस्थितियों में यदि आकस्मिक कोषों से इस प्रकार का भुगतान किया जाना संभव नहीं हो तो संबंधित जिला कलक्टर आवश्यक स्वीकृति जारी कर भुगतान की कार्यवाही करें लेकिन यह सुनिश्चित किया जाये कि जिस बजट मद से विशेष परिस्थितियों में स्वीकृति जारी की जाकर यदि कोई भुगतान किया गया है तो उस राशि का बजट में प्रावधान उसी वित्तीय वर्ष में करा लिया गया है ताकि आडिट आक्षेपों से बचा जा सकें।

6. **योजना की मोनिटरिंग एवं बजट आवंटन:–**

इस योजना के क्रियान्वयन मोनिटरिंग एवं जिला कलेक्टर्स को बजट आवंटन की कार्यवाही गृह विभाग द्वारा की जायेगी।

7. **नियमों में शिथिलता:–**

इन नियमों में किसी भी प्रकार की शिथिलता राज्य सरकार की पूर्व सहमति के बिना नहीं दी जायेगी।

इन नियमों के वित्तीय प्रावधानों के संदर्भ में वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 359 दिनांक 10.07.2008 से सहमति प्राप्त कर ली गई है।

(एस0एन0थानवी)
प्रमुख शासन सचिव, गृह

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. सचिव, गृह मंत्रालय, सरकार , नई दिल्ली।
2. सचिव, अल्पसंख्यक आयोग, भारत सरकार, लोक नायक भवन, 5वीं मंजिल, खान मार्केट, नई दिल्ली।
3. प्रमुख सचिव, राज्यपाल महोदय, जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव, समाज कल्याण विभाग, जयपुर।
5. शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
8. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, राजस्थान।
9. समस्त महानिरीक्षक पुलिस रेंज, राजस्थान
10. विशिष्ठ सहायक, गृहमंत्री, राजस्थान।
11. उप शासन सचिव, वित्त (व्यय-II) विभाग, जयपुर।
12. उप शासन सचिव, गृह (समन्वय) विभाग, जयपुर।
13. सहायक लेखाधिकारी, गृह विभाग, जयपुर।
14. समस्त पुलिस अधीक्षक, राजस्थान।

उप शासन सचिव-सुरक्षा।

परिशिष्ट –7

बन्धनामा

मैं ....पुत्र / पुत्री / विधवा / पिता / विधिक उत्तराधिकारी मृतक श्री / श्रीमती ....जाति............................ उम्र .... निवास .... हूं। क्योंकि श्री / श्रीम्ती ....की मृत्यु दिनांक ....को....................... .... (स्थान) में साम्प्रदायिक दंगों के कारण हो गई व इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा मुझे मृतक के वैधानिक उत्तराधिकारी के नाते आज दिनांक .... माह ....सन् .... को ....रू की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है व इसके लिए मुझे बन्धनाम पेश करने का आदेश दिया गया है, अतः मैं इस बन्धनामें के द्वारा अपने वारिसान को पाबन्द करता हूं कि यदि मेरे उक्त मृतक श्री / श्रीमती .... के उत्तराधिकारी होने के संबंध में अथवा उक्त के मुत्यु की प्रकृति या सत्यता के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है अथवा उक्त श्री / श्रीमती .... की मृत्यु साम्प्रदायिक दंगे में होना साबित नहीं होता है अथवा उक्त श्री / श्रीमती ....जीवित पाया जावेगा तो सहायता प्राप्त राशि मय .... प्रतिशत दर ब्याज सहित बिना किसी विलम्ब के राजकोष में जमा करा दूंगा। यदि मैं राजकोष में प्राप्त राशि जमा नहीं कराऊंगा तो राजस्थान राज्य को यह अधिकार होगा कि वह मुझसे जाति तौर पर व मेरी चल व अचल सम्पत्ति से उक्त राशि रू. .... मय .... प्रतिशत दर ब्याज से रू .... के सहित राज. लोक मांग वसूली अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं. 5) के अधीन या अन्य किसी कानून के अधीन कार्यवाही करके वसूल करें।

यह बन्धनामा आज दिनांक .... को निष्पादित करता / करती हूं।

साक्षीः–

1. ....
....

बन्धकर्ता

2. ....
....

परिशिष्ट —8

'प्रतिभू–पत्र'

क्योंकि श्री/श्रीमती .... पुत्र/पत्नी श्री........................... ....निवासी .... की मृत्यु साम्प्रदायिक दंगों के कारण .... (स्थान) में दिनांक ....को हो जाने पर राज्य सरकार ने इस संबंध में उसके उत्तराधिकारी श्री/श्रीमती .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... जाति .... निवासी .... को आज तारीख .... माह .... सन् .... को रू. .... की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है और उसे इस राशि के बाबत जमानत देने का आदेश दिया गया है, अतः इस संबंध में मैं जमानतकर्ता आर्थिक सहायता प्राप्तकर्ता श्री/श्रीमती ....की ओर से जमानत पेश कर उत्तरदायित्व लेता हूं व अपने वारिसान को भी पाबन्ध करता हूं कि यदि मृतक श्री/श्रीमती ....के उक्त .... के उत्तराधिकारी होने के संबध में अथवा उक्त .... की भृत्यु की प्रकृति या सत्यता के संबंध में अथवा उक्त .... की मृत्यु की प्रकृति या सत्यता के संबंध में किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न होता हैं, अथवा उक्त श्री/श्रीमती .... की मृत्यु साम्प्रदायिक दंगे में होना साबित नहीं होता है अथवा उक्त श्री/श्रीमती .... की मृत्यु साम्प्रदायिक दंगे में होना साबित नहीं होती है अथवा उक्त श्री/श्रीमती .... जीवित पाया जाता है तो उक्त आर्थिक सहायता प्राप्त करने वालों की ओर से मैं उक्त सहायता राशि मय .... प्रतिशत दर ब्याज से रू. .... राजस्थान राज्य को वापिस अदा कर दूंगा। यदि ऐसा नहीं करूं तो राजस्थान राज्य उक्त राशि मुझसे व मेर वारिसन से जाति तौर पर व हमारी चल व अचल सम्पत्ति राज. लोक मांग वसूली अधिनयम, 1952 (1952 का अधिनियम सं. 5) के अधीन या अन्य किसी कानून के अधीन कार्यवाही करके वसूल करने का अधिकारी होगा।

यह जमानतनामा मैं आज दिनांक..............................को निष्पादित करता/करती हूं।

साक्षीः—

जमानतकर्ता

(परिशिष्ट –9)

Proclamation order under section 144 of CrPC-1973

Sr.no.........…

DM/Commissioner OFFICE

..............Dated......

There have been serious law and order situations in .... district/city due to......................(reason) today in ....city. Anti-social elements have resorted to misusing social media for spreading rumors. It is necessary and rumors in order to maintain law and order and the safety of the people.

It has come to notice that some anti-social elements have created tensed atmosphere in the society by misusing whatsapp, facebook, twitter and other social media platforms.

It is imminent to ban access to these social media in order to maintain the law and order.

Therefore, I ....District Magistrate /Commissioner of Police, by using powers conferred under section 144 of CrPC, issue the following proclamation.

Internet service providers shall not provide 2G /3G/internet services (except landline, broadband) and bulk SMS/MMS services to their customers in the .... district/city of Rajasthan starting from ...:... hours.........(dated) till ...:...hours...........(dated). Violation of this order shall be punishable u/s 188 of IPC.

Since it is not possible to issue notice to each and every person, I issue this order ex-parte. However, for the information of general public, this order will be publicized in newspapers, akashvani, doordarshan and it will be put on the notice boards of all police stations and offices of DM, CP/SP, ADMs, ACPs/ASPs, SDMs, DCPs/DySP and TDRs, Besides this, the order will be displayed in public places for easy accessibility.

Issued today on .... under my sign and seal.

....

District Magistrate
/Commissioner of Police
...............District

Copy to:-

SP/ADM/ASP/ACP/DCP/SDM/DSP/TDR etc.

C—Urgent cases of nuisance or apprehended danger

144. Power to issue order in urgent cases of nuisance or apprehended danger

(1) In cases where, in the opinion of a District Magistrate, a Sub-divisional Magistrate or any other Executive Magistrate specially empowered by the State Government in this behalf, there is sufficient ground for proceeding under this section and immediate prevention or speedy remedy is desirable, such Magistrate may, by a written order stating the material facts of the case and served in the manner provided by section 134, direct any person to abstain from a certain act or to take certain order with respect to certain property in his possession or under his management, if such Magistrate considers that such direction is likely to prevent, or tends to prevent, obstruction, annoyance or injury to any person lawfully employed, or danger to human life, health or safety, or a disturbance of the public tranquillity, or a riot, or an affrav

(2) An order under this section may, in cases of emergency or in cases where the circumstances do not admit of the serving in due time of a notice upon the person against whom the order is directed. be passed *ex parte*

(3) An order under this section may be directed to a particular individual, or to persons residing in a particular place or area, or to the public generally when frequenting or visiting a particular place or area

(4) No order under this section shall remain in force for more than two months from the making thereof:

Provided that, if the State Government considers it necessary so to do for preventing danger to human life, health or safety or for preventing a riot or any affray, it may, by notification, direct that an order made by a Magistrate under this section shall remain in force for such further period not exceeding six months from the date on which the order made by the Magistrate would have, but for such order, expired, as it may specify in the said notification

(5) Any Magistrate may, either on his own motion or on the application of any person aggrieved, rescind or alter any order made under this section, by himself or any Magistrate subordinate to him or by his predecessor-in-office

(6) The State Government may, either on its own motion or on the application of any person aggrieved, rescind or alter any order made by it under the proviso to sub-section (4)

(7) Where an application under sub-section (5), or sub-section (6) is received, the Magistrate, or the State Government, as the case may be, shall afford to the applicant an early opportunity of appearing before him or it, either in person or by pleader and showing cause against the order, and if the Magistrate or the State Government, as the case may be, rejects the application wholly or in part, he or it shall record in writing the reasons for so doing

परिशिष्ठ–10

25 Jan 2010

REVISED GUIDELINES OF 'CENTRAL SCHEME FOR ASSISTANCE TO *CIVILIANS* VICTIMS / FAMILY OF VICTIMS OF TERRORIST, COMMUNAL AND *NAXAL* VIOLENCE

1. **Title of the Scheme**

The Scheme will be called the 'Central Scheme for Assistance to ***civilian*** Victims of Terrorist, Communal and ***Naxal*** violence.

2. **Introduction and Objectives**

The broad aim of the Scheme is to assist "***civilian*** victims of Terrorist violence including militancy, insurgency, Communal and ***Naxal*** violence'.

3. **Definitions**

(a) **Terrorism**: For purposes of this scheme, the term terrorism includes militancy and insurgency related violence and refers to acts as defined in Section 15 of the UAPA, 1967, (as amended in 2004).

(b) **Communal violence** would refer to planned and organized acts of violence by members of one community against members of another community with the intent of creating or expressing ill-will or hatred and leading to loss of life or injuries to people.

(c) ***Naxal Violence would refer to planned and organized acts of violence by Members of the CPI (Maoists), all its formations and front organizations who have been declared a terrorist organization and banned under the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 w.e.f. 22.06.2009.***

(d) **Permanent incapacitation**: means a disability of ***50% and above*** suffered by the victim which is of permanent nature and there are no chances of variation in the degree of disability and the injury/disability renders the victim unfit for normal life for the rest of his life.

(e) **Next of Kin** would be as certified by District Collector/District Magistrate/Dy. Commissioner.

The revised guidelines in respect of terrorist and communal violence will be effective from 1st April 2008 and from 22nd June, 2009, in respect of the cases of naxal violence.

4. **Eligibility**

(i) The financial assistance would be given to the family member(s) in the event of death or permanent incapacitation of the victim, in terrorist, communal or ***naxal*** violence.

(ii) Assistance would be given to the surviving spouse in case of death/ permanent incapacitation of the husband or the wife, as the case may be. However, if both the nusband and the wife die in same incident of violence, the family would be entitled to get the assistance, in each case.

(iii) Families of the victims would be eligible to get assistance under the scheme even if they have received any other assistance, by way of payment of ex-gratia or any other type of relief from the Government or any other source except when a similar scheme is already being implemented by the Central Government.

(iv) Next of kin of employees of Central Government, CPSEs, Autonomous Institutions and other Government Organizations including State Governments / State PSEs and similar organizations of State Governments would be eligible to receive financial assistance of Rs.3 lakhs in case of death/ permanent incapacitation (50% and above) on account of incidents of Terrorist/ communal/ naxalite violence.

(v) The total compensation amount, available in the SRE state/ districts would be Rs.4 lakhs (Rs.1 lakh from SRE and Rs.3 Lakh from the Central Scheme). In the other areas, the assistance would be limited to Rs.3 lakh.

(vi) ***Foreign Nationals and NRIs shall also be eligible / covered under the scheme w.e.f. 1.4.08 i.e. the date from which this scheme has been made effective.***

(vii) Those permanently incapacitated, and the members of the family of the victims killed/permanently incapacitated in the terrorist, communal or ***naxal*** violence would be given a health card by the District Health Society, functioning under the National Rural Health Mission. This card would entitle them to free medical treatment in respect of injuries and all other major illnesses caused due to violence. Medical care will also be provided to the beneficiaries of the scheme as a special case under the on-going schemes of the Ministry of Health and Family Welfare, viz., Rashtriya Arogya Nidhi and the National Trauma Care Project.

(viii) Children in the family would continue to be entitled for assistance admissible under the project 'Assist', implemented by the National Foundation for Communal Harmony (NFCH) of the MHA.

(ix) No other criteria regarding income of the family would be considered for the eligibility under this scheme.

(x) The perpetrators of violence or their family will not be entitled to any assistance under the scheme.

(xi) The eligible claimants can file their claims in prescribed proforma (Annexure – I) within 3 years of the relevant incident of terrorist, communal or ***naxal*** violence through the concerned DM/ State Government. The time limit can however be relaxed in deserving cases by the Central Government on the recommendations of the District Collector or on the recommendation of the Central Government itself.

5. <u>Assistance</u>

i) An amount of Rs. 3 lakh would be given ***for each death or permanent incapacitation*** to the affected family under the scheme.

ii) The amount of Rs. 3 lakh would be put in a fixed deposit account [Joint or Single in the name of the Family member(s)] in a Nationalized bank. (If there is no nationalized bank within the vicinity of the beneficiary, account may be opened in any scheduled commercial bank.) It would have a minimum lock-in period of 3 years or if there are only minor children in the family, till the eldest child attains the age of majority, whichever is later.

iii) The interest on the above sum would be credited directly by the bank to the beneficiary's saving account on a quarterly basis.

iv) At the end of the lock-in period, the principal amount of Rs. 3 lakh would be transferred directly to the saving account of the beneficiary.

v) In case of death or permanent incapacitation of the beneficiary, his or her Next of Kin would operate the account.

vi) In case of permanent incapacitation, the victim himself/herself would be the beneficiary. However, if he/she is not in a position to operate the account, then his/her nominee would operate the account.

6. **<u>Procedure to be followed at the District level</u>**

i) A District level Committee, under the chairmanship of District Magistrate/Collector/Dy. Commissioner, and having as its members the District Superintendent of Police, District Medical Officer, District Social Welfare Officer, District Child and Women Development Officer and an officer and who may be nominated by the State Government would identify beneficiaries and verify their eligibility for assistance under the scheme.

ii) While examining eligibility claims, the District Committee would look into the Police Report/FIR, Death-cum-Postmortem Certificate in the event of death, and Medical Certificate in the event of permanent incapacitation, birth certificate of the Claimant (if minor), the eligibility certificate issued by the District SP in the case of naxal violence.and any other documents as considered necessary for determining the ***legitimate*** claimant

iii) In case of permanent incapacitation, a certificate from the District Medical Officer would be required that the victim has suffered 50% ***and above*** disability, which is of permanent nature and there are no chances of variation in the degree of disability, and the injury renders the victim unfit for normal life for the rest of his life.

iv) In choosing the beneficiary in the family, the NOK (Next of Kin) concept would be applied.

v) The District Committee would send its recommendations (in Annexure -II) to the Joint Secretary, Ministry of Home Affairs ***(IS.II Division), 9th Floor, Lok Nayak Bhawan, Khan Market,*** New Delhi-110003 in the prescribed form, with a copy to the Home Department of the State Government.

vi) The District Committee while forwarding the case for assistance under the Scheme would certify that the victim has suffered / died due to terrorist, communal or ***naxal*** violence, as the case may be, and the beneficiary has been identified as per the scheme. It would also certify that the victim has not suffered / died due to any incident of crime or natural reasons.

vii) The District Committee would, so far as possible, make its recommendation within 1 month of receipt of claim for assistance to victims/family of terrorist or communal violence.

viii) The District Collector may, on his own, recommend assistance under the scheme with suitable justification.

7. **Procedure to be followed by the Ministry of Home Affairs**

i) The MHA would examine the case in terms of fulfillment of conditions for grant of assistance under the scheme.

ii) The MHA shall complete the processing of the application within *3* weeks, after its receipt from the District Committee and, if the application is found to be incomplete in any aspect, will communicate the deficiency to the District collector within 2 weeks.

iii) The MHA would issue the cheque in the name of the beneficiary, and this would be sent to the District Magistrate/ District Collector /Dy. Commissioner, for further necessary action, as per the provisions of the scheme, together with a letter of sanction. Whenever feasible the assistance shall be disbursed by way of electronic transfer to the victim's bank account.

iv) A copy of the Sanction letter would be sent to the Home Department in the State.

8. **Procedure to be followed after the issue of cheque**

i) The District Collector/ District Magistrate/Dy. Commissioner, as the case may be, would deposit the cheque received from the MHA, in the FD account of the beneficiary, with instructions to the Bank that no premature withdrawal may be allowed.

ii) Standing instructions would be given to the Bank by the District Committee, to credit the quarterly interest during the lock-in period and the principle amount after the lock-in period, directly into the account of beneficiary, as determined by the District Committee/ ***District Collector***.

iii) The State Government would provide a consolidated report on quarterly basis, of the assistance given to the victims of terrorist violence in the State in Annexure – III.

iv) The District Committee/ ***District Collector*** would send a Utilization Certificate in each case of assistance to the MHA, indicating the details of the beneficiary, Bank account, and the date on which money was deposited in the Bank Account, within a period of 3 months from the date of opening of the Fixed deposit account.

9. <u>**Saving Clause**</u>

In case of any **clarification required/** difficulty faced in implementation of the scheme, suitable *orders* / clarifications will be issued by the **Internal *Security- II*** Division of the MHA.

****

ANNEXURE-1

Application form for assistance to the victims of the family of victims of the Communal/ Terrorist / Naxal violence.

Photograph of the Victim	Photograph of Beneficiary.

PART A

(To be filled in Block Letters)

A. **DETAILS OF THE VICTIM**

1. Name : ____________
2. Age : ____________
3. Sex : ____________
4. Occupation* : ____________
5. Father s Name/ Husband Name : ____________
6. Mother's name : ____________
7. Address : ____________
8. Identification Proof : ____________
9. Effect of violence on the victim(Pl. tick) :Death/Permanent incapacitation (50% and above)
10. In case of 50% and above incapacitation : ____________
    (a) % of disability

***specifically state whether the victims is from uniformed / police service or not.**

B. **DETAILS OF THE FAMILY MEMBERS OF THE VICTIM**

S.No.	Name	Sex	Age	Father's/ Husband's Name	Relationship with the victim

C. **DETAILS OF THE BENEFICIARY:**

1. Name :
2. Age (Date of Birth) :
3. Sex :
4. Occupation of the beneficiary, if dependent on victim :
5. Father's Name/ Husband's Name :
6. Mother's Name :
7. Identification proof :
8. Relationship with the victims of terrorist and communal violence :

D. **DETAILS OF THE INCIDENT**

1. Place :

2. Date :

3. Time :

4. Details of the incident :

5. FIR No. and Date :

6. Police Station Area :

E. **Undertaking :** I undertake to utilize the assistance for the welfare of all the members of the family failing which the assistance may be withdrawn at any time without notice.

(Signature of Beneficiary)

Annexure - II

This is to certify that ______________________ (name of the victim) aged ______ years, Male/Female, resident of ______________________ ____

____, S/o /W/o ______________________________ has been killed/ permanently incapacitated (50%and above) in the ____________________ incident (communal/ terrorist/ militant/ insurgency/ naxal violence) on _______________ (Date and time) at ________________________ Mr./Mrs./Miss ______________ (Name of the Beneficiary,________________ (Relationship) of ________________________ (Name of the victim), aged _________ years, Male/Female has been found eligible to receive compensation of Rs. 3 lakhs from the Central Scheme for assistance to victims of terrorist, communal and naxal violence. His/her name has been recommended by the District Committee. He/ she or anyone is the family has so far not been given any permanent job in the Government on compassionate ground on account of death in the communal, terrorist and naxal violence. It is certified that the victim has not suffered due to any other Criminal incident or natural factors.

It is further. certified that the applicant has neither received any assistance under SRE scheme nor applied to. MHA for assistance under the SRE Scheme.

Following documents have been submitted by the claimant :

1. Police/FIR Report
2. Death cum Post Mortem Certificate (if applicable)
3. Medical Certificate (in case of incapacitation of 50% and above)
4. Any proof showing relationship of the beneficiary with the victim (Not required if victim is the claimant)
5. Date of Birth Certificate (if Beneficiary is minor)
6. Recommendation of the District Committee (with signatures of the members)

The fixed Deposit in the name of the ____________________________
(name of Beneficiary) will be opened in ___________________________
(Name of the Bank) for the period of ____________________________

Date :
Place :

(Signature of the District Collector/
Distt Magistrate/ Deputy Commissioner

Annexure - III

Quarterly Statement of Utilization of Assistance

Brief details of incident including date/ location	No. of Bene-ficiaries	Dates of Application (s) sent	Date of receipt of assistance	Date of Disburse-ment	If not disbursed, reasons	Total Assista-nce received in financial year	Assistance disbursed till date	If not fully disbursed, reasons thereof.

परिशिष्ट–11

By Speed Post

No.11044/11/2011-VTV
Government of India/Bharat Sarkar
Ministry of Home Affairs/Grih Mantralaya
IS-II Division
***

2nd floor, NDCC-II Building,
Jai Singh Road,
New Delhi-110 001
Dated the [illegible] June, 2012

To

The Chief Secretaries/Home Secretaries of all States/UTs.

In supersession of this Ministry's letter No-1-12020/42/2008-NCB dated 3/6 ine, 2008 and 25th January, 2010 forwarding guidelines for assistance under the entral Scheme for Assistance to Victims of Terrorist/Communal violence and vised guidelines for assistance to victims of Terrorist/Communal/Naxal Violence spectively, please find enclosed a copy of the revised guidelines (in Hindi & nglish) for information and compliance : The revised guidelines have been rmulated for expeditious disposal of cases of victims of Terrorist/Communal/Naxal olence.

As per revised guidelines, the sanction order for the release of financial sistance to the Next of Kin (NOK) of the victims of Terrorist/Communal/Naxal ience shall be issued by the DM/DC on the behalf of the State Government. After payment to the NOK of the Victims/Victims of Terrorist/Communal/Naxal lence has been made, the State Government may submit the proposal to MHA reimbursement. The reimbursement will be considered on the basis of audited counts in this regard. However, to ensure that the State does not suffer because delay in audit of accounts, adhoc releases will be made on the basis of accounts nished by the State Government and due scrutiny by IFD, MHA. These adhoc yments will be adjusted after final audited accounts are made available. The ntral Government will make 70% payment immediately and balance 30% after eipt of audit verification report by the Internal Audit Wing of MHA.

The proposals in respect of incidents which have taken place prior to April 12 and which have not so far been sent by the State Governments to the Ministry Home Affairs, Government of India, shall also be considered by the concerned te Governments for approval and reimbursement by the Ministry of Home airs, Government of India. The proposals which have been sent to MHA but are nding for want of complete documents from the State Government shall also be nsidered by State Government for approval and subsequent reimbursement from MHA. Such proposals shall be returned by MHA to the concerned Resident mmissioners of the States in Delhi.

4. The revised guidelines in respect of terrorist and communal violence is effective from 1st April, 2008 and from 22nd June, 2009 in respect of the cases of naxal violence. Cases of prior dates are not covered under the scheme and will not be considered for reimbursement.

Yours faithfully

Sd/-

(M. Gopal Reddy)
Joint Secretary to the Government of India
Ph No-011-23438050

Encl: As stated

Copy for information to:-

(1) JS (NM)/ JS (NE)/ JS (K)/ JS (IS-I)/JS (UT)/ JS (HR) MHA, North Block & NDCC-II Building New Delhi.
(2) PPS to SS (IS), MHA, North Block, New Delhi.
(3) PS to AS&FA, MHA, North Block, New Delhi.
(4) Ministry of Health & Family Welfare, "A" Wing 3rd Floor, Nirman Bhawan New Delhi-110001.
(5) The Secretary of NFCH, MHA, Lok Nayak Bhawan, New Delhi-110003.
(6) Budget Division, MHA, North Block / IFD (FIN.IV), MHA, North Block New Delhi.
(7) Deputy CCA, MIS Section, MHA, North Block.
(8) SO (IT), IT Cell, MHA, North Block, New Delhi –along with a soft copy through email at soit@nic.in with the request to upload the guidelines on MHA's website.
(9) Cabinet Secretariat, Rashtrapati Bhawan, New Delhi
(10) Resident Commissioner of all States Government.

(Ashish V. Gawai)
Under Secretary to the Government of India
Ph No-011-23438078

परिशिष्ट–12

Govt of India.

By Speed Post

No.11044/11/2011-VTV Government of India/Bharat Sarkar
Ministry of Home Affairs/Grih Mantralaya
IS-II Division/ VTV Section

2nd Floor, NDCC-II Building,
Jai Singh Road,
New Delhi-110 001
Dated the 14th November, 2013

The Chief Secretaries of all States/UTs.

Sub:- Central Scheme for Assistance to Civilian Victims of Terrorist/Communal/Naxal violence.

****

This is in continuation of this Ministry's letter of even number dated 29th June, 2012 on the subject cited above.

2. As you are aware, the Government of India is administering a scheme titled 'Central Scheme for Assistance to Civilian Victims of Terrorist / Communal / Naxal Violence' for providing assistance for the sustenance and maintenance of the families of the civilian victims of terrorist/communal/naxal violence. The said scheme is effective from 01.04.2008 in respect of terrorist and communal violence and from 22.06.2009 in respect of cases of naxal violence. Under the Central Scheme, in deserving cases, a financial assistance of Rs.3 lakhs is given for each death or permanent incapacitation case (disability of 50% or above) to the affected family subject to the condition that no employment has been provided to any of the family members of the victim. The amount would be put in a fixed deposit account of the beneficiary in a nationalised bank for a lock-in period of three years. The interest on the sum would be credited directly by the Bank to the Savings Account of the beneficiary on quarterly basis. At the end of the lock-in period, the principal amount of Rs. 3 lakhs would be transferred directly to the Savings Account of the beneficiary. In the Security Related Expenditure (SRE) States/ Districts, the financial assistance would be Rs.4 lakhs (Rs.1 lakh from Security Related States and Rs.3 lakhs from the Central Scheme). The main objective of the Scheme is to provide gratuitous assistance to the affected persons as an immediate help. Foreign Nationals and NRIs shall also be eligible / covered under the Scheme with effect from 01.04.2008.

3. Under the earlier guidelines dated 25.01.2010 the District Committee in the States used to send its recommendation to the MHA, Government of India for assistance to the Next of Kin .(NOK) of the victims of Terrorist/ Communal/Naxal violence. The MHA used to issue the cheque in the name of the beneficiary and send it to DM/DC's.

.....2/-

(65)

4. As per the revised guidelines on the said Central Scheme issued by this Ministry vide letter No.11044/11/2011-VTV dated 29.06.2012 (copy enclosed), the payment of assistance to the Victims / Next of Kin of Victims of Terrorist Violence shall be paid by the District Magistrate/ Deputy Commissioner and thereafter, the State Government shall submit the proposals to the Ministry of Home Affairs for re-imbursement. The sanction order for the release of financial assistance to the Next of Kin (NOK) of the victims of Terrorist/Communal/Naxal violence shall be issued by the DM/DC on behalf of the State Government. After the payment to the NOK of the Victims/Victims of Terrorist/Communal/Naxal violence has been made, the State Government may submit the proposal to MHA for reimbursement. The reimbursement will be considered on the basis of audited accounts in this regard. However, to ensure that the State does not suffer because of delay in audit of accounts, adhoc releases will be made on the basis of accounts furnished by the State Government and due scrutiny by IFD, MHA. These adhoc payments will be adjusted after final audited accounts are made available. The Central Government will make 70% payment immediately and balance 30% after receipt of audit verification report by the Internal Audit Wing of MHA.

5. In pursuance to the revised guidelines of the said central scheme, a large number of proposals, which were pending with this Ministry for disposal, were returned to the State Government for making payment of Central Assistance to the victims of terrorist/communal/naxal violence. However, no information as to the payment of Central Assistance made to victims has been received from the State Governments so far.

6. The State Governments are requested to make payment of Central Assistance to all eligible victims of terrorist/communal/naxal violence under the aforesaid Central Scheme immediately and forward the proposals alongwith requisite documents, for re-imbursement of the amount to State Governments.

7. An early action is solicited.

Yours faithfully

(Bina Prasad)
Joint Secretary to the Government of India
Tele No.011-23438085

Encl: As stated

No.11044/11/2011-VTV
Government of India/Bharat Sarkar
Ministry of Home Affairs/Grih Mantralaya
IS-II Division/ VTV Section

2nd Floor, NDCC-II Building,
Jai Singh Road,
New Delhi-110 001
Dated the 20th January, 2014

To

The Resident Commissioner,
(Government of Assam, Andhra Pradesh, Bihar, Chhattisgarh, Delhi, Jharkhand, Karnataka, Meghalaya, Manipur, Maharashtra, Madhya Pradesh, Orissa, Rajasthan, Uttar Pradesh, West Bengal).

Sub:- Central Scheme for Assistance to Civilian Victims of Terrorist/Communal/Naxal violence- Regarding.

Sir,

As you are aware, the Government of India is administering a scheme titled 'Central Scheme for Assistance to Civilian Victims of Terrorist / Communal / Naxal Violence' for providing assistance for the sustenance and maintenance of the families of the civilian victims of terrorist / communal / naxal violence. The said scheme is effective from 01.04.2008 in respect of terrorist and communal violence and from 22.06.2009 in respect of cases of naxal violence. Under the Central Scheme, in deserving cases, a financial assistance of Rs.3 lakhs is given for each death or permanent incapacitation case (disability of 50% or above) to the affected family subject to the condition that no employment has been provided to any of the family members of the victim.

2. Under the earlier guidelines dated 25.01.2010 the District Committee in the States used to send its recommendation to the MHA, Government of India for assistance to the Next of Kin (NOK) of the victims of Terrorist/Communal/Naxal violence. The MHA used to issue the cheque in the name of the beneficiary and send it to DM/DC's.

3. As per the revised guidelines on the said Central Scheme issued by this Ministry vide letter No.11044/11/2011-VTV dated 29.06.2012 (copy enclosed), the payment of assistance to the Victims / Next of Kin of Victims of Terrorist Violence shall be paid by the District Magistrate/ Deputy Commissioner and thereafter, the State Government shall submit the proposals to the Ministry of Home Affairs for re-imbursement. The sanction order for the release of financial assistance to the Next of Kin (NOK) of the victims of Terrorist / Communal / Naxal violence shall be issued by the DM/DC on behalf of the State Government. After the payment to the NOK of the Victims/Victims of Terrorist/Communal/Naxal violence has been made, the State Government may submit the proposal to MHA for reimbursement. The reimbursement will be considered on the basis of audited accounts in this regard. However, to ensure that the State does not suffer because of delay in audit of accounts, adhoc releases will be made on the basis

of accounts furnished by the State Government and due scrutiny by IFD, MHA. These adhoc payments will be adjusted after final audited accounts are made available. The Central Government will make 70% payment immediately and balance 30% after receipt of audit verification report by the Internal Audit Wing of MHA.

4. In pursuance to the revised guidelines of the said central scheme, a large number of proposals, which were pending with this Ministry for disposal, were returned to the State Government, for making payment of Central Assistance to the victims of terrorist / communal / naxal violence. However, the District Administration/State Governments merely issue the Sanction Orders for financial assistance in favour of the victims/next of kin of victims under the said Central Scheme and forwarded a copy of the same to the Central Government. But the payment of financial assistance does not seem to have been made to the beneficiaries. As such, no proposal is received from the State Governments for re-imbursement. Also, some State Governments still continue to forward the original proposals to this Ministry for financial assistance to the victims/next of kin of victims under the earlier guidelines dated 25.01.2010 of the aforesaid Central Scheme.

5. In view of the above, it has been decided to convene a meeting to be chaired by the Joint Secretary (Security), Ministry of Home Affairs on **Thursday, the 30th January, 2014 at 3.00 P.M at Conference Hall, 1st Floor, Ministry of Home Affairs, NDCC-II Building, Jai Singh Road, New Delhi-110001** to discuss the issues involved in the implementation of the new guidelines of the Central Scheme for Assistance to Civilian Victims of Terrorist / Communal / Naxal violence issued by this Ministry vide letter dated 29.06.2012. You are, therefore, requested to make it convenient to attend the said meeting.

Yours faithfully

(ASHISH V. GAWAI)
Under Secretary to the Government of India
Tel. No 011-23438078
E-mail Id: av.gawai@nic.in

Encl: As stated

परिशिष्ट—14

No.11044/11/2011-VTV
Government of India/Bharat Sarkar
Ministry of Home Affairs/Grih Mantralaya
IS-II Division/ VTV Section

2nd Floor, NDCC-II Building,
Jai Singh Road,
New Delhi-110 001
Dated the 3rd July, 2014

To

The Resident Commissioner,
(Government of Assam, Andhra Pradesh, Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand, Meghalaya, Manipur, Madhya Pradesh, Orissa, Rajasthan, West Bengal).

Sub:- Central Scheme for Assistance to Civilian Victims of Terrorist/Communal/Naxal violence- Regarding.

Sir,

As you are aware, the Government of India is administering a scheme titled 'Central Scheme for Assistance to Civilian Victims of Terrorist / Communal / Naxal Violence' for providing assistance for the sustenance and maintenance of the families of the civilian victims of terrorist / communal / naxal violence. The said scheme is effective from 01.04.2008 in respect of terrorist and communal violence and from 22.06.2009 in respect of cases of naxal violence. Under the Central Scheme, in deserving cases, a financial assistance of Rs.3 lakhs is given for each death or permanent incapacitation case (disability of 50% or above) to the affected family subject to the condition that no employment has been provided to any of the family members of the victim.

2. Under the earlier guidelines dated 25.01.2010 the District Committee in the States used to send its recommendation to the MHA, Government of India for assistance to the Next of Kin (NOK) of the victims of Terrorist/Communal/Naxal violence. The MHA used to issue the cheque in the name of the beneficiary and send it to DM/DC's.

3. As per the revised guidelines on the said Central Scheme issued by this Ministry vide letter No.11044/11/2011-VTV dated 29.06.2012 (copy enclosed), the payment of assistance to the Victims / Next of Kin of Victims of Terrorist Violence shall be paid by the District Magistrate/ Deputy Commissioner and thereafter, the State Government shall submit the proposals to the Ministry of Home Affairs for re-imbursement. The sanction order for the release of financial assistance to the Next of Kin (NOK) of the victims of Terrorist / Communal / Naxal violence shall be issued by the DM/DC on behalf of the State Government. After the payment to the NOK of the Victims/Victims of Terrorist/Communal/Naxal violence has been made, the State Government may submit the proposal to MHA for reimbursement. The reimbursement will be considered on the basis of audited accounts in this regard. However, to ensure that the State does not suffer because of delay in audit of accounts, adhoc releases will be made on the basis of accounts furnished by the State Government and due scrutiny by IFD, MHA. These adhoc payments will be adjusted after final audited accounts are made available. The Central Government will make 70% payment immediately and balance 30% after receipt of audit verification report by the Internal Audit Wing of MHA.

Contd...

4. In pursuance to the revised guidelines of the said central scheme, a large number of proposals, which were pending with this Ministry for disposal, were returned to the State Government, for making payment of Central Assistance to the victims of terrorist / communal / naxal violence. However, the District Administration/State Governments has merely issued the Sanction Orders for financial assistance in favour of the victims/next of kin of victims under the said Central Scheme and forwarded a copy of the same to the Central Government. However, it has been observed that this Ministry is still not in receipt of the proposals in prescribed format and names as required from the State Government for providing reimbursement from the Ministry of Home Affairs.

5. In view of the above, it has been decided to convey another meeting which shall be chaired by the Joint Secretary (Security), Ministry of Home Affairs on Wednesday, the 16th July, 2014 at 3.30 P.M at **Conference Hall, 1st Floor, Ministry of Home Affairs, NDCC-II Building, Jai Singh Road, New Delhi-110001.** It may be recalled that an earlier meeting had been held on the subject on 5th February, 2014. You are, therefore, requested to make it convenient to attend the said meeting.

Yours faithfully

(ASHISH V. GAWAI)
Under Secretary to the Government of India
Tel. No 011-23438078
E-mail Id: av.gawai@nic.in

Copy to :-

1. The Chief Secretary, Govt. Of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, I.P. Estate, New Delhi- 110 002.

2. The Additional Secretary & Financial Advisor, Ministry of Home Affairs - It is requested that an officer of IFD section may kindly be directed to attend the meeting.

3. The Chief Controller of Accounts, Ministry of Home Affairs- It is requested that an officer of Audit section may kindly be directed to attend the meeting.

4 Under Secretary (Ad.III), MHA, North Block -- It is requested that the logistics for that day may be organised.

5. Reception Officer, MHA, NDCC-II Building -- To make passes of officials who shall come for the meeting.